ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

31

सत्रहवीं लोक सभा

पंचायती राज मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

इकतीसवाँ प्रतिवेदन

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

इकतीसवाँ प्रतिवेदन

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति

(2022-23)

(सत्रहवीं लोक सभा)

पंचायती राज मंत्रालय

अनुदानों की मांगें
(2023-24)

14.03.2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।

15.03.2023 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मार्च, 2023/ फाल्गुन, 1944 (शक)

सीआरडी सं. 185

मूल्यः रुपये.....

© 2023 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम (पंद्रहवां संस्करण) के नियम 382 के अंतर्गत प्रकाशित और _____ द्वारा मुद्रित ।

विषय-सूची **पृष्ठ सं**

समिति की संरचना (2022-23) ii

प्राक्कथन iii

प्रतिवेदन

भाग- एक

व्याख्यात्मक विश्लेषण

I.	प्रस्तावना	1 – 7
II.	अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच	8 – 14
III.	बजट के उपयोग का रुझान (2019-20 से 2022-23)	15 – 20
IV.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति	21 – 43
V.	स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण)	44 – 48
VI.	पारदर्शी और जवाबदेह ग्राम पंचायतें	49 – 61

भाग-दो

समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें 62 – 69

अनुबंध

एक	समिति की शुक्रवार, 10 फरवरी, 2023 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश	70 – 71
दो	समिति की 13 मार्च 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्दरण	72 - 73

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) की संरचना

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि- सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री शिशिर कुमार अधिकारी
3. श्री ए.के.पी. चिनराज
4. श्री राजवीर दिलेर
5. श्री विजय कुमार दुबे
6. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
7. डॉ. मोहम्मद जावेद
8. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी
9. सुश्री एस. जोतीमणि
10. श्री नलीन कुमार कटील
11. श्री नरेन्द्र कुमार
12. श्री जनार्दन मिश्र
13 श्री बी.वाई. राघवेन्द्र
14. श्री तालारी रंगैय्या
15. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
16. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
17. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
18. श्री बृजभूषण शरण सिंह
19. डॉ आलोक कुमार सुमन
20. श्री श्याम सिंह यादव
21. श्रीमती डिम्पल यादव

राज्य सभा

22. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
23. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
24. श्रीमती शांता क्षत्री
25. डॉ. धर्मस्थल वीरेन्द्र हेग्गडे
26. श्री इरण्ण कडाडि
27. श्री राम शकल
28. श्रीमती रंजीत रंजन
29. श्री नारणभाई जे. राठवा
30. श्री अजय प्रताप सिंह
31. श्री बशिष्ठ नारायण सिंह

<u>सचिवालय</u>

1.	श्री डी. आर. शेखर	:	संयुक्त सचिव
2.	श्री सी. कल्याणसुंदरम	:	निदेशक
3.	श्री अर्जुन चौधरी	:	समिति अधिकारी

प्राक्कथन

मैं, ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023) का सभापति (कार्यकारी), समिति द्वारा उसकी ओर से प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने हेतु प्राधिकृत किए जाने पर (लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियम के नियम 277(3) के अनुसार) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2023-2024) के संबंध में इकतीसवाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

2. समिति द्वारा लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ड.(1) (क) के अंतर्गत अनुदानों की मांगों की जांच की गई है।

3. समिति ने 10 फरवरी, 2023 को पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया।

4. समिति ने 13 मार्च, 2023 को हुई अपनी बैठक में इस प्रतिवेदन पर विचार किया और इसे स्वीकार किया ।

5. समिति पंचायती राज मंत्रालय के अधिकारियों को विषय की जांच के संबंध में समिति द्वारा अपेक्षित सामग्री उपलब्ध कराने तथा अपनी सुविचारित राय व्यक्त करने के लिए धन्यवाद देती है।

6. समिति, इससे संबद्ध लोक सभा सचिवालय के अधिकारियों की उनके द्वारा दी गई बहुमूल्य सहायता के लिए सराहना करती है।

नई दिल्ली;

13 मार्च, 2023

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा
कार्यकारी सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी
स्थायी समिति

प्रतिवेदन

भाग 1

व्याख्यात्मक विश्लेषण

अध्याय-1 परिचय

1.1 ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति, लोक सभा की विभागों से संबंद्ध सोलह स्थायी समितियों में से एक है, जिसे मुख्य रूप से इसके दायरे में आने वाले मंत्रालय/विभाग द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु अनुदानों की मांगों की जांच के अनिवार्य कार्य के साथ-साथ संबंधित मंत्रालय/विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन योजनाओं की जांच करने का कार्य भी सौंपा गया है। वर्तमान प्रतिवेदन लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 331ङ(1)(क) के तहत आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पंचायती राज मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की जांच से संबंधित है।

1.2 पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना 27 मई, 2004 को की गई थी। मंत्रालय का मुख्य अधिदेश संविधान के भाग IX के कार्यान्वयन, पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों में पंचायतों (अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार) अधिनियम, 1996 (पेसा) के कार्यान्वयन की निगरानी और संविधान के भाग IX-क के अनुच्छेद 243यघ के संदर्भ में जिला योजना समितियों का संचालन करना है। चूंकि कानून बनाने सहित अधिकांश कार्य राज्य सरकारों के पास हैं, इसलिए मंत्रालय मुख्य रूप से नीतिगत हस्तक्षेप, समर्थन, क्षमता निर्माण, प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार के संबंध में अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है। तदनुसार, मंत्रालय का उद्देश्य पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को स्थानीय शासन, सामाजिक परिवर्तन और ग्रामीण स्थानीय आबादी की आकांक्षाओं को पूरा करने वाले सार्वजनिक सेवा वितरण तंत्र के लिए एक प्रभावी, कुशल और पारदर्शी वाहक/साधन बनाना है।

1.3 यह बताया गया है कि चूंकि "स्थानीय सरकार" संविधान की राज्य सूची का एक विषय है, एमओपीआर पंचायती राज संस्थानों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए राज्य सरकार के प्रयासों को संपूरित और पूर्ण करता है, जो सीधे संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित किए जाते हैं। इसके लिए, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) को लागू किया जा रहा है और वार्षिक ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी), प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए एक समग्र योजना, ग्राम पंचायत (जीपी) द्वारा भागीदारीपूर्ण प्रक्रिया के माध्यम से तैयार की जाती है। इसके लिए संसाधनों और कार्यक्रमों का समामेलन और ग्राम सभा द्वारा

उसका अनुमोदन आवश्यक है। पंचायत विकास योजना को अब सभी स्तरों पर अर्थात ब्लॉक विकास योजनाओं और जिला विकास योजनाओं के लिए ब्लॉक और जिला स्तर पर विस्तारित किया गया है।

पंचायत के आंकड़े

ग्राम पंचायतों की संख्या	:	2,55,600
ब्लॉक पंचायतों की संख्या	:	6,697
जिला पंचायतों की संख्या	:	665
पीआरआई के निर्वाचित सदस्यों की संख्या	:	30.45 lakh
निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या	:	13.79 lakh (45%)

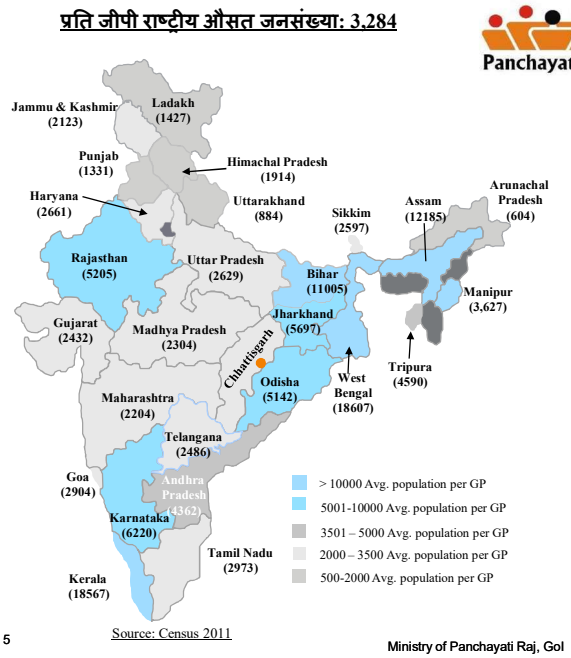

1.4 पंचायती राज संस्थानों के कामकाज में सुधार के लिए बड़ी संख्या में हितधारकों जैसे पंचों/वार्ड सदस्यों, कार्यकर्ताओं आदि सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों का क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) एक जटिल कार्य है। इसके अलावा, ग्राम पंचायत स्तर पर उपलब्ध संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए समग्र योजना, विशेष रूप से केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान की एक बड़ी राशि ने सीबीएंडटी के महत्व को और बढ़ा दिया है। तदनुसार, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की पुनर्गठित केंद्र प्रायोजित योजना को भारत सरकार द्वारा सीबीएंडटी गतिविधियों पर ध्यान देते हुए अनुमोदित किया गया है और वर्ष 2018-19 से पंचायती राज मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है।

1.5 पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) ने मिशन मोड में 2030 तक जमीनी स्तर पर पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) को स्थानीय बनाने के लिए 17 एसडीजी को एक साथ समूहीकृत करके 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है । ये 9 विषय हैं: (i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका गांव; (ii). स्वस्थ गांव; (iii) बाल –हितैषी गांव; (iv). जल पर्याप्त गांव; (v). स्वच्छ और हरित ग्राम; (vi). आत्मनिर्भर बुनियादी दांचा वाला गांव; (vii). सामाजिक रूप से संरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायोचित गांव; (viii).

सुशासन वाला गांव; और (ix). महिला हितैषी गांव। मंत्रालय ने उपरोक्त विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण की दिशा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की क्षमता और प्रशिक्षण के उन्मुखीकरण के लिए अपनी प्रमुख योजना- आरजीएसए को नया रूप दिया है।

1.6 मंत्रालय के अनुसार, पंचायतों और उनके प्रतिनिधियों को बेहतर कार्य-निष्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए पंचायतों को प्रोत्साहन देने की योजना मंत्रालय द्वारा आरजीएसए के केंद्रीय घटक के रूप में लागू की जाती है। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज को बदलने के लिए, उन्हें और अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी बनाने और पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे योजना, बजट, कार्यान्वयन, लेखा, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाओं जैसे प्रमाण पत्र, लाइसेंस आदि का वितरण जैसे मुद्दों का समाधान करने के लिए ई-पंचायत पर मिशन मोड परियोजना भी आरजीएसए के केंद्रीय घटक के रूप में कार्यान्वित की जा रही है। पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के बीच विभिन्न सूचनाओं का प्रसार करने के लिए मीडिया और प्रचार की केंद्रीय क्षेत्र की योजना और पीआरआई से संबंधित विषयों पर अध्ययन करने के लिए कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की योजना भी मंत्रालय द्वारा लागू की जाती है।

1.7 मंत्रालय ने यह भी बताया कि राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकार फोरम (सीएलजीएफ) की सदस्यता शुल्क के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के तहत धन का उपयोग किया जाता है, जिससे स्थानीय प्रशासन के संबंध में वैश्विक बातचीत और विचारों के आदान-प्रदान की सुविधा अपेक्षित है।

1.8 मंत्रालय ने ड्रोन सर्वेक्षण पद्धति के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी वाले क्षेत्रों के सीमांकन के उद्देश्य से 24 अप्रैल, 2020 को स्वामित्व योजना शुरू की। इस योजना का उद्देश्य गाँवों में आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में गृह स्वामियों को 'हक–विलेख' प्रदान करना और संपत्ति के स्वामियों को "संपत्ति कार्ड" जारी करना है। यह गांव के आवासीय क्षेत्र की भूमि के मूल्य में वृद्धि करेगा और बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय और वाणिज्यिक भवनों के निर्माण और वित्तपोषण को गति प्रदान करेगा। योजना मार्च 2025 तक सभी गांवों को कवर करेगी।

1.9 मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय की प्रमुख प्राथमिकताओं के रूप में निम्नलिखित को रेखांकित किया है:

"मंत्रालय अंतर-मंत्रालयी और बहु-क्षेत्रीय समन्वय समर्थन सहित पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम संबंधी, तकनीकी और संस्थागत सहायता प्रदान कर रहा है। क्षमता निर्माण के कार्यक्षेत्र में, पंचायती राज संस्थाओं के लिए हस्तांतरण में वृद्धि करने के लिए ज्ञान/सूचना आधारित सहायता और स्थानीय प्रशासन के लिए समाधान खोजने के साथ-साथ ग्रामीण भारत को मजबूत करने के लिए पंहुच भी प्रदान किया जा रहा है। आगामी वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख प्राथमिकताओं में भागीदारीपूर्ण स्थानीय योजना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से 9 विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए सुशासन और एसडीजी की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमता बढ़ाना और स्थानीय सरकार के प्रभावी संस्थानों के रूप में कार्य करने के लिए पीआरआई को मजबूत करना है। मंत्रालय की प्राथमिकता होगी कि ई-ग्राम स्वराज को जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायतों के लिए सूचित और साक्ष्य-आधारित निर्णय लेने में अधिक उपयोगी बनाया जाए। मंत्रालय एसडीजी के स्थानीयकरण के 9 विषयों के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों (अन्य संस्थानों/संगठनों सहित) को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 (पंचायतों के प्रोत्साहन योजना के तहत) भी प्रदान करेगा। इसके अतिरिक्त, आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए स्वामित्व योजना के तहत प्रमुख प्राथमिकताएं निम्नवत हैं:

(i) मार्च 2024 तक सभी आबाद गांवों में ड्रोन उड़ान का काम पूरा करना।

(ii) उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गोवा और लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के सभी आबाद गांवों के लिए संपत्ति कार्ड बनाने के साथ योजना को पूरा करना।

(iii) देश भर में 3.5 करोड़ संपत्ति कार्ड तैयार करना।"

1.10 जब मंत्रालय से पंचायती राज संस्थाओं के लिए एक राष्ट्रीय नीति विकसित करने और सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद के मॉडल पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहयोग के बारे में पूछा गया, तो मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित प्रस्तुत किया:

"मंत्रालय संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की योजना को वर्ष 2022-23 से कार्यान्वित कर रहा है जिसमें सभी स्तरों पर 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण के साथ केंद्रीय मंत्रालयों और राज्य के संबंधित विभागों के ठोस और

सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण को अपनाते हुए जमीनी स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के स्थानीयकरण पर ध्यान दिया जा रहा है ।

मंत्रालय यह मानता है कि राष्ट्रीय विकास और 2030 एजेंडा के उद्देश्यों को साकार करने के लिए लोगों, स्थानीय सरकारों और सभी हितधारकों की भागीदारी की आवश्यकता है। इन लक्ष्यों को स्थानीय स्तर पर नीतियों में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, जो प्रासंगिक हैं और उन समुदायों के लिए लागू हैं जिन्हें सेवा प्रदान की जा रही है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सक्रिय भागीदारी के साथ एलएसडीजी के लिए विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है। एलएसडीजी को आगे ले जाने के लिए अभिसरण गतिविधियों के लिए राज्यों को विषय-वार संयुक्त रूप से सुझाव जारी किए गए हैं। सहकारी संघवाद के दृष्टिकोण के बाद विभिन्न राज्यों में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय कार्यशाला/राईट–शॉप /संगोष्ठियों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है, जिसमें ईआरएस, पदाधिकारियों और पंचायतों के अन्य हितधारकों ने अच्छी तरह से भाग लिया है और क्रॉस लर्निंग के लिए एक अवसर बनाया है।

संविधान का अनुच्छेद 243छ पंचायतों को शक्तियों (कोष, कार्यों और कार्मिकों) के हस्तांतरण के मामले में राज्यों को निर्णय लेने की अनुमति देता है, न कि केंद्र सरकार को। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध मामलों सहित आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाओं के आयोजन, लागू करने और निगरानी करने के लिए राज्यों ने पंचायतों को जिस सीमा तक शक्तियाँ प्रदान की हैं, उसमें भिन्नता है। इसलिए, पंचायती राज संस्थानों (पीआरएल) के माध्यम से विकेंद्रीकृत और सहभागी स्थानीय स्वशासन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय को किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ रहा है।"

1.11 मंत्रालय ने निम्नलिखित मुद्दों की पहचान की है जो पंचायती राज संस्थाओं को भारत के संविधान के तहत परिकल्पित आत्मनिर्भर, विकेंद्रीकृत और स्थानीय स्वशासन का केंद्र बनने से रोक रहे हैं:

"पंचायती राज व्यवस्था के कुशल संचालन के लिए कोष, कार्य और कार्मिकों, जिसे 3एफ के रूप में भी जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय वित्त आयोग अनुदान, राज्य वित्त आयोग अनुदान और विभिन्न केंद्रीय और राज्य प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से पंचायतों को अब अत्यधिक धनराशि प्राप्त हो रही है। हालाँकि, पंचायतों द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के साथ उनकी मैपिंग के साथ-साथ पंचायतों के तीन स्तरों पर संवैधानिक रूप से अनिवार्य कार्यों का उचित हस्तांतरण और पंचायतों में पर्याप्त जनशक्ति का प्रावधान अभी भी महत्वपूर्ण कारक बने हुए हैं जो पंचायती राज संस्थाओं के गठन से रोकते हैं जिसके लिए वे अभिप्रेत थे। चूंकि "स्थानीय सरकार" संविधान की राज्य सूची में एक विषय है और कानून बनाने सहित पंचायती राज संस्थानों के उचित कामकाज के लिए सभी कार्य राज्य सरकारों के अधीन हैं।मंत्रालय नीतिगत हस्तक्षेप, समर्थन, क्षमता निर्माण, अनुनय और वित्तीय सहायता के माध्यम से पंचायतों के कामकाज में सुधार करने से संबंधित अपने लक्ष्यों तक पहुंचने का प्रयास करता है । सरकार ने हाल ही में पंचायती राज संस्थानों में सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), ई-ग्रामस्वराज, ऑडिटऑनलाइन, सिंगल नोडल एजेंसी, ग्राम मानचित्र, गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के जरिए मानचित्रण (स्वामित्व) योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना, सरकारी ई-मार्केटिंग (जीईएम) के माध्यम से निर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों के संशोधित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, सेवाओं और अधिकारों की कुशल प्रदायगी पर ध्यान देना, सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण सहित ग्राम पंचायत विकास योजना/ब्लॉक पंचायत विकास योजना/जिला पंचायत विकास योजना को जोड़ना आदि जैसे कई अभिनव परिवर्तन प्रस्तुत किए हैं। उनका प्रभाव नियत समय में दिखाई देगा।"

1.12 **पंचायती राज मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों (2023-2024) को 07 फरवरी, 2023 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया। वर्ष 2023-24 हेतु मांग संख्या 72 के बजट अनुमान (बीई) में 1016.42 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जो पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट अनुमान से 17 प्रतिशत अधिक अर्थात 868.57 करोड़ रुपये अधिक है और उसी वर्ष के संशोधित अनुमान से 12 प्रतिशत अधिक अर्थात 905.77 करोड़ रुपये अधिक है।**

समिति ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय की अनुदानों की मांगों की गहन जांच की है और प्रतिवेदन के उत्तरवर्ती अध्यायों में इस पर विचार-विमर्श किया गया है। समिति की टिप्पणियां/सिफारिशें प्रतिवेदन के अंत में दी गई हैं। समिति आशा करती है कि मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए निधि के उचित और समय पर उपयोग के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा। समिति अपेक्षा करती है कि पंचायती राज मंत्रालय समिति की टिप्पणियों/सिफारिशों को सकारात्मक रूप से लेगा और उन पर तेजी से कार्रवाई करेगा और इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति की तिथि से तीन महीने के भीतर प्रतिवेदन में की गई टिप्पणियों/सिफारिशों के संबंध में की-गई कार्रवाई उत्तर प्रस्तुत करेगा।

अध्याय-2

अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच

2.1. मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए मंत्रालय द्वारा प्रस्तावित और वित्त मंत्रालय द्वारा अनुमोदित बजट अनुमान 2023-24 के ब्यौरे के साथ निम्नलिखित विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया है:-

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**एमओपीआर द्वारा प्रस्तावित बीई**	**एमओएफ द्वारा अनुमोदित बीई**
i.	अम्ब्रेला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	1014.30	895.00
ii.	स्वामित्व	98.39	76.00
iii.	सचिवालय सेवाएं	57.00	45.42
कुल		**1169.69**	**1016.42**

2023-24 बजट अनुमान के ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र.सं.	**योजना का नाम**	**बीई 2023-24 (स्वीकृत)**
1	**अम्ब्रेला संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजी**एसए**)**	**895.00**
(i)	**राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजी**एसए**)**	**819.00**
	(क) सहायता अनुदान	**810.00**
	(ख) कार्यालय व्यय और व्यावसायिक सेवाएं	**9.00**
(ii)	**पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण**	**47.80**
	(क) सहायता अनुदान	**46.00**
	(ख) व्यावसायिक **सेवाएं**	**0.564**
	(ग) कार्यालय व्यय	**1.200**
	(घ) प्रशिक्षण व्यय	**0.036**
(iii)	**ई - पंचायत पर मिशन मोड परियोजना**	**20.00**

	(क) सहायता अनुदान	**0.25**
	(ख) कार्यालय व्यय	**18.25**
	(ग) पूंजीगत व्यय	**1.50**
(iv)	**एक्शन रिसर्च एंड पब्लिसिटी**	**8.00**
	(क) सहायता अनुदान	**05.67**
	(ख) विज्ञापन और प्रचार	**02.00**
	(ग) व्यावसायिक **सेवाएं**	**00.32**
	(घ) अन्य प्रशासनिक व्यय (2022-23 **में)/ कार्यालय व्यय (**2023-24 **से)**	**00.01**
(v)	**अंतरराष्ट्रीय सहयोग**	**0.20**
2	**स्वामित्व**	**76.00**
	(क) सहायता अनुदान	**51.30**
	(ख) कार्यालय व्यय	**4.16**
	(ग) पूंजीगत व्यय	**20.54**
	कुल - योजना	**971.00**
3.	**सचिवालय सेवाएं (गैर** स्कीम**)**	**45.42**
	(क) वेतन	**15.42**
	(ख) गैर वेतन	**30.00**
	कुल योग (स्कीम **+ गैर योजना)**	**1,016.42**

2.2 मंत्रालय से 2022-23 के दौरान सदन में प्रस्तुत अनुपूरक अनुदान और अतिरिक्त अनुदान, यदि कोई हो, पर संक्षिप्त जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था, जिसपर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत किया:

> "कार्य अनुसंधान एवं प्रचार स्कीम के घटक के नियमितीकरण के लिए वर्ष 2022-23 के दौरान 1 लाख रुपये की सांकेतिक अनुपूरक मांग की गई, जो अंब्रेला आरजीएसए योजना का हिस्सा थी। निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, 1 लाख रुपये के अनुपूरक सांकेतिक राशि का उपयोग कार्य अनुसंधान और प्रचार के तहत सहायता अनुदान के रूप में किया जाना है, जो अम्ब्रेला आरजीएसए योजना का एक घटक है। हालाँकि, वर्ष 2022-23 के दौरान सदन में कोई अतिरिक्त अनुदान प्रस्तुत नहीं किया गया।."

2.3 अनुदानों की मांगों पर स्थायी समिति की पिछले वर्षों के प्रतिवेदनों की सिफारिशों के आलोक में अनुदानों की मांगों 2023-24 की विभिन्न मदों को कितना संशोधित किया गया है, दर्शाने के लिए मंत्रालय ने निम्नवत् विस्तृत नोट भी प्रस्तुत किया है:

> "विस्तृत अनुदानों की मांगों-2021-22 की जांच संबंधी पैरा संख्या 2.16 की सिफारिश सं. 14 द्वारा समिति ने सिफारिश की थी कि "आरजीएसए का स्वतंत्र मूल्यांकन होना है, उम्मीद है कि पंचायती राज संस्थान के परिवर्तन के लिए यह व्यापक दस्तावेज एक अधिक प्रभावी और शक्तिशाली साधन के रूप में योजना को पुनर्गठित करेगा| समिति को इससे संबंधित परिणाम से अवगत कराया जाए।" तदनुसार, एक स्वतंत्र अनुसंधान संगठन-नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर), नई दिल्ली द्वारा आरजीएसए की योजना के मूल्यांकन के आधार पर, आरजीएसए की योजना को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के दौरान इसके कार्यान्वयन के लिए फिर से नया रूप दिया गया है| संशोधित योजना की व्यापक संरचना कैबिनेट के प्रस्ताव में दर्शायी गई थी जिसे मंजूरी दे दी गई है। इन्हें डीडीजी (2023-24) में विधिवत दर्शाया जा रहा है।."

2.4 वर्ष 2020-21 से 2022-23 एवं 2023-24 के लिए योजना-वार बीई और आरई का बजट अनुमान दर्शाने वाला विवरण

(राशि करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		बीई 2019-20 की तुलना में बीई 2020-21 में% वृद्धि/ कमी	आरई 2019-20 की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में % वृद्धि/ कमी	वर्ष 2021-22		बीई 2020-21 की तुलना में बीई 2021-22 में% वृद्धि/ कमी	आरई 2020-21 की तुलना में आरई 2021-22 की% वृद्धि/ कमी	वर्ष 2022-23		बीई 2021-22 की तुलना में बीई 2022-23 की प्रतिशत वृद्धि/कमी	आरई 2021-22 की तुलना में आरई 2022-23 की प्रतिशत वृद्धि/ कमी	2023-24	बीई 2022-23 की तुलना में बीई 2023-24 की प्रतिशत वृद्धि/ कमी
		बीई	आरई			बीई	आरई			बीई	आरई			बीई	
1	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	790.53	499.94	3.70	13.40	593.00	618.00	-24.99	23.61	593.00	682.98	0.00	10.51	819.00	38.11
2	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	47.00	47.00	6.82	46.81	48.00	52.51	2.13	11.72	50.00	50.82	4.17	-3.22	47.80	-4.40
3	पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	20.00	17.82	29.03	57.91	20.00	11.71	0.00	-34.29	20.00	15.00	0.00	28.10	20.00	0.00
4	मीडिया और प्रचार	8.00	10.22	-46.67	51.08	12.00	5.52	50.00	-45.99	10.00	10.00	-16.67	81.16	8.00*	-38.46
5	एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज	2.00	2.00	-33.33	54.50	3.00	2.50	50.00	25.00	3.00	3.00	0.00	20.00	*	0.00
6	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.16	0.00	6.25	0.20	0.17	0.00	6.25	0.20	0.20	0.00	17.65	0.20	0.00

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 2020-21		बीई 2019-20 की तुलना में बीई 2020-21 में% वृद्धि/ कमी	आरई 2019-20 की तुलना में संशोधित अनुमान 2020-21 में % वृद्धि/ कमी	वर्ष 2021-22		बीई 2020-21 की तुलना में बीई 2021-22 में% वृद्धि/ कमी	आरई 2020-21 की तुलना में आरई 2021-22 की% वृद्धि/ कमी	वर्ष 2022-23		बीई 2021-22 की तुलना में बीई 2022-23 की प्रतिशत वृद्धि/कमी	आरई 2021-22 की तुलना में आरई 2022-23 की प्रतिशत वृद्धि/ कमी	2023-24	बीई 2022-23 की तुलना में बीई 2023-24 की प्रतिशत वृद्धि/ कमी
		बीई	आरई			बीई	आरई			बीई	आरई			बीई	
7	स्वामित्व	0.00	79.65	लागू नहीं	लागू नहीं	200.00	140.00	लागू नहीं	75.77	150.00	105.00	-25.00	-25.00	76.00	-49.33
	कुल	**867.73**	**656.79**	3.30	28.21	**876.20**	**830.41**	0.98	26.43	**826.20**	867.00	-5.71	4.41	**971.00**	17.53
8	सचिवालय सेवा (**गैर योजना**)	33.21	33.21	6.00	14.24	37.23	37.97	12.10	14.33	42.37	38.77	13.81	2.11	45.42	7.20
	कुल अनुदान	**900.94**	**690.00**	3.39	27.54	**913.43#**	**868.38**	1.39	25.85	**868.57**	905.77	-4.91	4.31	**1016.42**	17.02

(+0.01) टोकन पूरक।

* उपरोक्त तालिका में क्रम संख्या 4 और क्रम संख्या 5 की योजना वर्ष 2021-22 से एक ही योजना में मिला दिया गया है।

(लागू नहीं):लागू नहीं, क्योंकि योजना वर्ष 2020-21 में केवल RGSA RGSA के अंतर्गत धन की आंतरिक व्यवस्था के साथ शुरू हुई थी।

2.5 मंत्रालय से यह पूछे जाने पर कि वे वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1016.42 करोड़ के बजट अनुमानों को किस प्रकार व्यय करेंगें, मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित उत्तर दिया गया:

"उपरोक्त बिंदु संख्या 19 और 20 के अनुसार, मंत्रालय ने वर्ष 2020-21 और वर्ष 2021-22 में लगभग 100% आरई आवंटन का उपयोग किया है और आरई-2022-23 का भी पूरा उपयोग करेगा जो कि बीई-2022-23 से अधिक है। हालांकि, 2023-24 के लिए प्रस्तावित बजट अनुमान 2022-23 के संशोधित अनुमान आवंटन से लगभग 29% अधिक है, जो मुख्य रूप से पंचायती राज संस्थानों को शामिल करते हुए स्थानीय स्तर पर किये गए उपायों के माध्यम से एसडीजी को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण पर ध्यान देने के लिए अपनाए गए नए दृष्टिकोण के अंतर्गत राज्यों द्वारा आरजीएसए योजना के तहत की गई अधिक निधियों के कारण है। आरजीएसए के तहत मांगा गया बढ़ा हुआ आवंटन, जो सीसीईए नोट के तहत अनुमोदित वित्तीय परिव्यय के अनुसार है, योजना के तहत विभिन्न वर्षों के लिए धन की आवश्यकता के आकलन के आधार पर तैयार किया गया है।

चूंकि निधि के आवंटन का बड़ा हिस्सा आरजीएसए की योजना के लिए है, अत: योजना के तहत आवंटित निधि के उचित उपयोग के लिए निम्नलिखित रोडमैप तैयार किया गया है जिसका मंत्रालय के कुल व्यय पर समग्र प्रभाव पड़ेगा:

- वर्ष 2023-24 के लिए एएपी का समय पर अनुमोदन, जिसमें अनुमोदित कार्यकलापों के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को पर्याप्त समय प्रदान किया गया है।
- एएपी के निर्माण के लिए जांचबिंदु साझा करना और राज्यों को सहायता प्रदान करना।
- प्रगति की निगरानी और स्वीकृत गतिविधियों में तेजी लाने के लिए वीडियो कान्फ्रेंसिंग और टेलीफोन कॉल के माध्यम से राज्यों के साथ नियमित संपर्क। आवश्यक सलाह/स्पष्टीकरण जब भी आवश्यक हो जारी किया जाता है।
- क्षेत्र/ राज्य-विशिष्ट वीडियो कान्फ्रेंसिंग (वीसी) भी किए जा रहे हैं।

- एमआईएस के माध्यम से अनुमोदित गतिविधियों की प्रगति की निरंतर निगरानी।
- कार्यकारी एजेंसी के अंतिम स्तर तक पीएफएमएस के माध्यम से अनिवार्य रूप से धनराशि जारी करना।
- राज्यों के समरूप शेयर को जारी करने, अव्ययित शेष राशि को समाप्त करने और अधिकतम सीमा तक धनराशि जारी करने के लिए उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी) आदि आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए मामले को प्रभावी रूप से राज्यों के समक्ष रखना।
- मंत्रालय ने पंचायतों के लिए वेब आधारित एप्लिकेशन (योजना, बजट, लेखा, निगरानी, संपत्तियों की जियो टैगिंग आदि के लिए ई-ग्राम स्वराज) तैयार किया है।
- मंत्रालय की पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को पुरस्कारों और वित्तीय प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा।
- पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के सुदृढ़ीकरण और बेहतरी के लिए सभी सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) गतिविधियां।"

अध्याय-तीन

बजट के उपयोग का रुझान (2019-20 से 2022-23)

वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के दौरान एमओपीआर की निर्धारित धनराशि, खर्च और उपलब्धि

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	योजना का नाम	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (31.12.2022)		
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
राजस्व व्यय - योजना													
1.	राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान	762.34	432.96	432.90	790.53	499.94	499.93	593.00	618.00	618.00	593.00	682.98	505.25
2.	पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	44.00	25.00	25.00	47.00	47.00	49.68	48.00	52.51	52.52	50.00	50.82	49.63
3.	पंचायतों पर मिशन मोड परियोजना	15.50	7.50	7.25	20.00	17.82	17.79	20.00	11.71	11.71	20.00	15.00	12.62
4.	मीडिया और प्रचार	15.00	5.00	5.25	8.00	10.22	7.50	15.00#	8.02#	8.02#	13.00#	13.00#	9.44#
5.	एक्शन रिसर्च एंड रिसर्च स्टडीज	3.00	0.91	0.91	2.00	2.00	2.00	#	#	#	#	#	#
6.	अंतरराष्ट्रीय सहयोग	0.20	0.15	0.14	0.20	0.16	0.16	0.20	0.17	0.17	0.20	0.20	0.15

क्रम सं.	योजना का नाम	2019-20			2020-21			2021-22			2022-23 (31.12.2022)		
		बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	बीई	आरई	वास्तविक व्यय
7.	स्वामित्व	0.00	0.00	0.00	0.00	79.65	79.65	200.00	140.00	139.99	150.00	105.00	97.20
	योजना का योग	**840.04**	**471.52**	**471.45**	**867.73**	**656.79**	**656.71**	**876.20**	**830.41**	**830.41**	**826.20**	**867.00**	**674.29**
राजस्व व्यय: अन्य (गैर योजना/गैर स्कीम)													
8.	**सचिवालय सेवा**	**31.33**	28.48	26.81	33.21	33.21	30.36	37.23	37.97	34.43	42.37	38.77	26.75
	अनुदान कुल	**871.37**	**500.00**	**498.26**	**900.94**	**690.00**	**687.07**	**913.43**	**868.38**	**864.84**	**868.57**	**905.77**	**701.04**

 # वर्ष 2021-22 से मीडिया एवं प्रचार तथा कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान प्रचार की योजनाओं को कार्य अनुसंधान एवं प्रचार के रूप में एक योजना में शामिल कर दिया गया है ।

3.2 मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के बीच निरंतर अंतर के लिए निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं :

> "संशोधित अनुमान स्तर पर मंत्रालय द्वारा अधिक आवंटन की मांग के बावजूद, वित्त मंत्रालय ने भारी कटौती की और पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान स्तर पर मंत्रालय को कम धनराशि आवंटित की। तथापि, मंत्रालय द्वारा लगभग 100% आरई आवंटन का उपयोग किया गया है। यहां यह उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 के लिए 868.57 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान स्तर पर 905.77 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। मंत्रालय ने पहले ही दिनांक 25.01.2023 तक 804.11 करोड़ रुपये खर्च किए हैं, जो कि बजट अनुमान का लगभग 93% और संशोधित अनुमान 2022-23 का लगभग 89% है। मंत्रालय द्वारा दिनांक 31.03.2023 तक संशोधित अनुमान राशि पूर्णत: व्यय कर ली जाएगी।. "

3.3 बजटीय आवंटनों को वापस करने के संबंध में, मंत्रालय ने समिति को प्रस्तुत अपने लिखित नोट में निम्नलिखित बताया:

> "विगत तीन वर्षों (2019-20 से 2021-22) के दौरान बीई/आरई, वास्तविक व्यय और वापस की गई राशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि रूपये करोड़ में)

क्र. सं.	**वर्ष**	**बीई**	**आर. ई.**	**वास्तविक व्यय**	**बी.ई. के संबंध में समर्पण की गई राशि**
1	2019-20	871.37	500.00	498.26	373.11
2.	2020-21	900.96*	690.00	686.27	214.69
3.	2021-22	913.44**	868.38	864.84	48.60

* टोकन सप्लीमेंट्री/ अनुपूरक के रूप में 2 लाख रुपये सहित
** टोकन सप्लीमेंट्री/ अनुपूरक के रूप में 1 लाख रुपये सहित

यह उल्लेख किया जा सकता है कि बीई के संबंध में वापस की गई राशि/अभ्यर्पित राशि आरई स्तर पर अनियंत्रित कटौती के कारण है।"

3.4 मंत्रालय के विजन मेप के अनुसार और वर्तमान वित्त आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडो के अनुसार लक्ष्यों (वास्तविक और वित्तीय दोनों अलग-अलग) की उपलब्धि के रूप में मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की है:

"वर्तमान वित्त आयोग अर्थात् पंद्रहवें वित्त आयोग (XV FC) ने अपनी अंतरिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सिफारिशें दी और अंतिम रिपोर्ट में वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए अनुदानों की सिफारिश की। वर्ष 2020-21 और 2021-22 के दौरान, मंत्रालय ने पीआरआई को सुदृढ़ करने के लिए शासन क्षमताओं को विकसित करने के प्राथमिक उद्देश्य से राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) कि केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) लागू की। आरजीएसए एक मांग संचालित योजना है जिसका मुख्य उद्देश्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थानों को मजबूत करना है। आरजीएसए की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के अनुमोदन के अधीन राज्यों / केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा चयनित गतिविधियों के वित्तपोषण के लिए प्रदान की गई योजना के तहत कोई वास्तविक और वित्तीय लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं। योजना के तहत, कुल 33,77,161 निर्वाचित प्रतिनिधि और अन्य हितधारकों, 33,34,000 ईआर और अन्य हितधारकों और 32,10,525 ईआर और अन्य हितधारकों को क्रमशः वर्ष 2019-20, 2020-21 और 2021-22 के दौरान प्रशिक्षित किया गया था। पिछले तीन वर्ष 2019-20 से 2021-22 और चालू वर्ष 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान आरजीएसए, स्वामित्व, पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण, ई- पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना, मीडिया और प्रचार और कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन की वित्तीय उपलब्धि निम्नानुसार हैं:

(राशि करोड़ रुपए में)

योजनाएं	**वर्ष**	**बीई**	**आरई**	**वास्तविक व्यय**	**आरई के %के रूप में व्यय**	**योजनाएं**
आरजीएसए	2019-20	762.34	432.96	432.90	99.99	329.44
	2020-21	790.53	499.94	499.93	100.00	290.60
	2021-22	593.00	618.00	618.00	100.00	0.00
	2022-23	593.00	682.98	505.25	73.98	-
स्वामित्व	2019-20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2020-21	0.00	79.65	79.65	100.00	0.00
	2021-22	200.00	140.00	139.99	99.99	60.01

योजनाएं	वर्ष	बीई	आरई	वास्तविक व्यय	आरई के %के रूप में व्यय	योजनाएं
	2022-23	150.00	105.00	97.20	92.57	-
पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण	2019-20	44.00	25.00	25.00	100.00	19.00
	2020-21	47.00	47.00	49.68	105.70	0.00
	2021-22	48.00	52.51	52.52	100.02	0.00
	2022-23	50.00	50.82	49.63	97.66	-
ई-पंचायत संबंधी मिशन मोड परियोजना	2019-20	15.50	7.50	7.25	96.67	8.25
	2020-21	20.00	17.82	17.79	99.83	2.21
	2021-22	20.00	11.71	11.71	100.00	8.29
	2022-23	20.00	15.00	12.62	84.13	-
मीडिया और प्रचार	2019-20	15.00	5.00	5.25	105.00	9.75
	2020-21	8.00	10.22	7.50	73.39	0.50
	2021-22	15.00*	8.02*	8.02*	100.00	6.98
	2022-23	13.00*	13.00*	9.44*	72.61	-
कार्य अनुसंधान और अनुसंधान अध्ययन	2019-20	3.00	0.91	0.91	100.00	2.09
	2020-21	2.00	2.00	2.00	100.00	0.00
	2021-22	*	*	*	0.00	0.00
	2022-23	*	*	*	0.00	-

नोट: 2022-23 का व्यय दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार है एवं वर्ष 2021-22 से प्रभावी रूप से मीडिया एवं प्रचार तथा कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान प्रचार की योजनाओं को कार्य अनुसंधान एवं प्रचार के रूप में एक योजना में मिला दिया गया है।

'पंचायत के लिए मिशन मोड परियोजना' के तहत, सभी ई- पंचायत एप्लिकेशन अभी कार्यान्वयन के अधीन हैं और इसके लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लगातार समर्थन दिया जा रहा है। इसके अलावा, ई- पंचायत के लिए सीधे राज्यों को कोई धनराशि जारी नहीं की जाती है। पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण योजना के तहत 2020, 2021 और 2022 के दौरान पंचायतों /राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को क्रमशः 306, 313 और 329 पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रदत्त पुरस्कारों की संख्या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त नामांकनों की संख्या और मंत्रालय द्वारा अंतिम चयन पर आधारित होती है। मीडिया, प्रचार और अनुसंधान योजना के तहत बजटीय आवंटन वास्तविक आउटपुट और उनके अनुमानित परिणामों के अनुरूप

है, जहां कहीं ऐसा करना संभव है, हैं। आईईसी/जागरूकता अभियान तीन स्तरों पर पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधि, पंचायती राज संस्थाओं के पदाधिकारी, राज्य मशीनरी के अधिकारी और आम जनता आदि लक्षित वर्गों की सूचना आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार, 2.17 लाख गांवों में ड्रोन उड़ान पूरी हुई, 83,200 गांवों और 267 सीओआरएस साइटों में जांच प्रक्रिया/आपत्ति प्रक्रिया के बाद नक्शे तैयार किए गए।"

अध्याय-4

राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के माध्यम से प्रमुख सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति

4.1 संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) को वर्ष 2022-23 से वर्ष 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, जिसमें 5,911 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय शामिल है, जिसमें 3,700 करोड़ रुपये केंद्र का हिस्सा और 2,211 करोड़ रुपये राज्य का हिस्सा है । इस योजना को ऐसे क्षेत्रों में जो भाग IX में नहीं है, को ग्रामीण स्थानीय सरकार के संस्थानों सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया है, जहां पंचायतें नहीं हैं। योजना का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) को सुदृढ़ करना है। इस योजना में केंद्र और राज्य दोनों घटक हैं। पूर्वोत्तर, पहाड़ी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को छोड़कर, जहां केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 90:10 है, राज्यों के घटकों के लिए फंडिंग पैटर्न क्रमशः केंद्र और राज्यों के बीच 60:40 के अनुपात में है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों के लिए, केंद्र का हिस्सा 100% है। योजना का केंद्रीय घटक केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित है। आरजीएसए के तहत धनराशि मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), कार्यकर्ताओं और पंचायतों के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) के लिए राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाता है। योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अंतर्गत अनुमोदित पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित अन्य स्वीकार्य गतिविधियों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। वर्ष 2019-20 (बीई) के लिए आरजीएसए के तहत आवंटन 762.34 करोड़ रुपये था जो वर्ष 2020-21 (बीई) में 3.7% बढ़कर 790.53 करोड़ रुपये हो गया, जबकि बीई आवंटन 24.98% घटाकर 593 करोड़ रुपये कर दिया गया। आरजीएसए के तहत व्यय पिछले तीन वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान के स्तर पर आवंटन का लगभग 100% रहा है।

4.2 जब मंत्रालय से पूछा गया कि मंत्रालय ने अंब्रेला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 1014.30 करोड़ रुपये की प्रस्तावित राशि के स्थान पर 2023-24 के बजट आकलन चरण में केवल 895 करोड़ रू. आवंटित किए गए, तो मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर दिया:

> "पंचायती राज मंत्रालय ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए पुनर्गठित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान की समग्र योजना के तहत 1014.30 करोड़ रुपये की मांग की थी। यह मांग वर्ष 2021-22 में राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना और राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों की व्यय प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए

की गई थी। हालांकि, वित्त मंत्रालय ने बजट आकलन चरण में वर्ष 2023-24 के लिए केवल 895 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।"

4.3 जब मंत्रालय से यह पूछा गया कि क्या वर्ष 2023-24 के लिए पुनर्गठित योजना के तहत किए जाने वाले व्यय को वहन करने के लिए 895 करोड़ रुपये का आवंटन पर्याप्त होगा, तो मंत्रालय ने निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायत के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न पहल की हैं। पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत 9 विषयों को विकसित किया गया है। इन विषयों में से प्रत्येक में कई एसडीजी शामिल हैं, जो विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए मैप किए गए हैं। संदर्भ वर्ष के दौरान विषयगत प्रशिक्षण विशेष प्रशिक्षण, पंचायत शिक्षा केंद्र (पीएलसी), पंचायत प्रतिनिधियों के प्रत्यक्ष अनुभव दौरे, एलएसडीजी पर राष्ट्रीय/क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं जैसे पंचायतों की संस्थागत क्षमता के संबंध में अतःक्षेपों की श्रृंखला की योजना बनाई गई है। इसलिए, यह आशा की जाती है कि 895 करोड़ रुपये के बजट आकलन की आवंटित राशि को मुख्य रूप से इन नियोजित गतिविधियों में व्यय किया जाएगा और यदि आवश्यक हुआ तो तदनुसार संशोधित किया जाएगा।"

4.4 जब मंत्रालय से पूछा गया कि मंत्रालय आरजीएसए (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में कम व्यय के क्या कारण हैं और 31 मार्च, 2023 तक शेष राशि का उपयोग करने के लिए मंत्रालय की क्या योजना है, तो मंत्रालय ने निम्न साक्ष्य दिया:

"वर्ष 2022-23 के दौरान, 596 करोड़ रुपये 20/01/2023 तक जारी किए गए हैं और वित्त मंत्रालय के एमईपी और क्यूईपी प्रतिबंध के कारण लगभग केवल 77 करोड़ रुपये शेष हैं। इसे फरवरी/मार्च, 2023 में पूर्वोत्तर राज्यों सहित उन राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को जारी किया जाएगा, जिनसे अपेक्षित मांग/दस्तावेज अपेक्षित हैं।"

4.5 **वर्ष 2019-20 से 2021-22 तथा चालू वर्ष 2022-23 तक आरजीएसए की योजना के तहत जारी धन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार स्थिति (31 दिसंबर 2022 तक)**

(राशि करोड़ रुपए में)

क्र.सं	**राज्य / संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20**	**2020-21**	**2021-22**	**2022-23***
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	0.00	0.00
2	आंध्र प्रदेश	0.00	22.34	38.54	0.00
3	अरुणाचल प्रदेश	39.59	0.00	30.07	108.69
4	असम	23.22	26.12	44.04	44.34
5	बिहार	0.00	0.00	63.77	0.00
6	छत्तीसगढ़	0.00	4.04	7.93	0.00
7	दादरा और नगर हवेली	0.00	0.00	0.00	1.14
	दमन और दीव	0.00			
8	गोवा	0.00	0.00	0.59	0.00
9	गुजरात	0.00	0.00	0.00	0.00
10	हरियाणा	0.00	9.89	0.00	0.00
11	हिमाचल प्रदेश	10.00	22.10	32.42	60.65
12	जम्मू और कश्मीर	6.19	25.00	40.00	40.00
13	झारखंड	0.00	2.34	7.74	0.00
14	कर्नाटक	0.00	0.44	29.15	36.00
15	केरल	0.00	8.13	12.00	30.40
16	लद्दाख	-	2.15	1.08	0.00
17	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00
18	मध्य प्रदेश	85.48	71.42	47.11	0.00
19	महाराष्ट्र	8.44	66.76	73.34	37.84
20	मणिपुर	4.54	3.41	2.98	8.63
21	मेघालय	2.63	3.97	0.00	0.00
22	मिजोरम	0.50	21.19	5.56	14.27
23	नागालैंड	3.94	3.72	4.58	0.00
24	ओडिशा	0.00	2.94	1.33	11.40
25	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
26	पंजाब	0.00	13.45	10.78	34.25
27	राजस्थान	0.00	12.98	17.27	0.00
28	सिक्किम	5.10	4.75	1.19	6.01

29	तमिलनाडु	5.30	56.88	39.89	0.00
30	तेलंगाना	0.00	12.00	0.00	0.00
31	त्रिपुरा	0.00	2.53	4.67	0.00
32	उत्तर प्रदेश	169.92	32.54	83.08	20.00
33	उत्तराखंड	23.79	26.75	0.00	42.48
34	पश्चिम बंगाल	44.10	33.52	15.14	0.00
कुल		**432.74**	**491.34**	**614.25**	**496.10**
अन्य कार्यान्वयक एजेंसी		**0.16**	**8.59**	**3.74**	**9.12**
कुल योग		**432.90**	**499.93**	**617.99**	**505.22**

*31दिसंबर, 2022 की स्थिति के अनुसार

4.6 जब मंत्रालय से 31 दिसंबर, 2022 तक वर्ष 2022-23 में इस योजना के तहत 34 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों में से 19 को कोई राशि जारी नहीं करने के कारणों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत कारण प्रस्तुत किए:

> "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निधियां जारी करने और जारी न करने में कमी मुख्य रूप से उपयोगिता प्रमाणपत्र (यूसी), लेखा परीक्षित विवरण, राज्यो के शेयर को जारी न करने और/या राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा जारी की जाने वाली राशि से अधिक अव्ययित शेष की उपलब्धता सहित अपेक्षित दस्तावेजों को समय पर जमा न करने और साथ ही केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के तहत धन जारी करने के संबंध में वित्त मंत्रालय के विनियमन के निर्देशों का पालन न करने के कारण हैं।"

4.7 जब मंत्रालय से पिछले तीन वर्षों से लगातार वार्षिक कार्य योजनाओं की तुलना में अखिल भारतीय निर्मुक्ति आंकड़ों में तीव्र गिरावट के कारण के बारे में पूछा गया तो मंत्रालय ने निम्नवत कारण प्रस्तुत किए:

> "राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित एएपी के निमित्त केंद्रीय हिस्सा जारी करने के लिए योजना के अंतर्गत (i) संबंधित राज्य का हिस्सा जारी करना; (ii) पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित विवरण को प्रस्तुत करने के साथ-साथ केंद्र और राज्य के हिस्से की निर्मुक्ति का 75 प्रतिशत उपयोग किया जाना है। इस योजना प्रावधान के अनुसार राज्यों को दो किस्तों में धनराशि जारी की जाती है। यह पाया गया है

कि अधिकांश मामलों में, राज्यों द्वारा राज्य के हिस्से को जारी करने में विलंब होती है और/या राज्य के हिस्से की कमी बनी रहती है। विलंब से जारी करने से धनराशि के समय पर उपयोग में विलंब होती है और इसके परिणामस्वरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करने में विलंब होता है। यह भी पाया गया है कि कई राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों के पास पिछले वर्षों से आवंटित धनराशि का अव्ययित शेष है। इसके अलावा कुछ राज्यों ने सीएसएस के तहत धन जारी करने को विनियमित करने वाले वित्त मंत्रालय के निर्देशों का भी पालन नहीं किया है। इन सभी कारणों से राज्यों को जारी केंद्रीय हिस्से में कमी आई है।"

4.8 मंत्रालय ने समिति को यह जानकारी दी कि राज्यों की वार्षिक कार्य योजनाओं को मंजूरी देने में मंत्रालय जिन मानदंडों का पालन करता है, वे निम्नवत है:

"स्कीम के दिशा-निर्देशों के अनुरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत वार्षिक कार्य योजना (एएपी) का मूल्यांकन किया जाता है और सचिव, पंचायती राज मंत्रालय की अध्यक्षता में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है।"

4.9 मंत्रालय ने बताया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण की दिशा में राज्य सरकार के प्रयासों को पूरा करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए है:

"संशोधित आरजीएसए की योजना पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए कार्यान्वित की जा रही है, जो निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पंचायत पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों की क्रमिक क्षमता निर्माण के लिए प्रयास करती है। ईआर की डिजिटल साक्षरता पर विशेष जोर दिया जा रहा है और वार्ड सदस्यों या पंचों को क्षेत्रीय संसाधन व्यक्तियों में परिवर्तित करने, शिक्षित करने और उन्हें परिवर्तन एजेंटों की स्पष्ट भूमिका में बदलने सहित परिवर्तन पर भी जोर दिया जा रहा है। योजना के परिणामस्वरूप भागीदारीपूर्ण स्थानीय योजना, लोकतांत्रिक निर्णय लेने, पारदर्शिता और जवाबदेही के माध्यम से सुशासन और एसडीजी की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमताओं में वृद्धि होगी। वर्ष 2022-23 (21.01.2023) के दौरान लगभग 15,11,827 ईआर, पंचायत कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है। क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के भाग के रूप में योजना

में पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सपोजर विजिट का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान लगभग 98,653 पंचायत प्रतिनिधियों के एक्सपोजर विजिट का अनुमोदन किया गया है।"

4.10 महिला प्रतिनिधियों के लिए अलग प्रशिक्षण के प्रावधानों के बारे में पूछे जाने पर, पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"यह हमारे लिए एक सतत चुनौती है। हमारे पास उनके लिए मॉड्यूल हैं और हम महिलाओं के प्रशिक्षण पर जोर दे रहे हैं। इस वर्ष से महिला सभाओं और बाल सभाओं को संस्थागत रूप देने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए वार्षिक कार्य योजना में यह प्रस्ताव किया गया है कि राज्य यह प्रस्तुत करेगा कि यह एक पृथक लाइन होगी। इसलिए, इस निधि से प्राप्त होने वाले प्रशिक्षण विशेष रूप से स्वयं सहायता समूहों की मदद लेकर महिलाओं को संगठित करने के लिए होंगे जो पहले से ही वहां हैं। वे ऐसा करते रहे हैं। लेकिन जहां तक इस योजना में मदों की लाइन का सवाल है, इसे 2023-24 से शामिल किया जाएगा।"

4.11 ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

"आंकड़ों के मुताबिक अभी भी देश भर में 51,512 पंचायतें हैं, जिनके पास खुद का भवन नहीं है। पंचायतों की संख्या बढ़ती-घटती रहती है, ज्यादा तो पंचायतें बढ़ती हैं, जब राज्यों में नई पंचायतों का सृजन किया जाता है और जब उनको अर्बनलोकल बॉडी, नगर पंचायत इत्यादि बनाता है तो वे कम हो जाती हैं। यह संख्या मुझे याद है, जब गरीब कल्याण रोजगार अभियान कोविड के समय किया था, तब उस समय 59 हजार पंचायतें होती थीं, जिनके पास खुद के भवन नहीं थे और 30 हजार पंचायत भवन उस वर्ष के दौरान इनीशिएट किए गए थे। जिसमें मनरेगा, फाइनेंस कमीशन और राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, तीनों के फंड्स कन्वर्ज किए गए थे। कहने का अभिप्राय यह था कि पंचायतें लगभग सारे टाइम बढ़ती रहती हैं। जो कम होती हैं, उनकी संख्या उस के बराबर नहीं होती, जितनी बढ़ रही थीं। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान में कुछ क्षमता होती है, जो कि समय-समय पर हम लोग उनको देते भी रहे हैं। ग्राम पंचायत भवनें जो सरकारें माँगती हैं, नीड के मुताबिक, जैसे इस समय सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में

है, लगभग 30 हजार ग्राम पंचायत भवन पंचायतों के पास नहीं हैं। नीड के आधार पर जितनी अपनी फंड अवलेबिलिटी होती है, उस के हिसाब से कुछ-कुछ ग्राम पंचायत भवनों के लिए फंड्स दिए जाते हैं। अभी इस सारे को करने के लिए, एनुअल एक्शन प्लान में जो राज्य सरकारें माँगती हैं, उसके हिसाब से उन्हें धन दिया जाता है।"

4.12 मंत्रालय ने समिति को यह जानकारी दी कि संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अलावा केंद्र द्वारा ग्राम पंचायतों को निम्नलिखित प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है:

"संशोधित आरजीएसए की योजना के तहत, जीपी/जीपी के क्लस्टर को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता के लिए ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई (बीपीएमयू) और ब्लॉक पंचायत संसाधन केंद्र स्थापित करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।"

4.13 मंत्रालय ने समिति को यह जानकारी दी कि समक्ष पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रयास किए जा रहे है:

"यह देखते हुए कि लगभग 70% भारत ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है, राष्ट्रीय स्तर पर सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के माध्यम से जमीनी स्तर पर कार्रवाई की आवश्यकता होगी। इसलिए, एसडीजी के स्थानीयकरण में पंचायती राज संस्थाओं, विशेष रूप से ग्राम पंचायतों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। पंचायती राज मंत्रालय ने पंचायतों में सतत विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण पर एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है। रिपोर्ट 7 दिसंबर, 2021 को जारी की गई और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित की गई। पंचायती राज मंत्रालय ने एसडीजी के प्रति विषयगत दृष्टिकोण अपनाया है जिसके तहत 17 एसडीजी को ध्यान में रखते हुए 9 विषय तैयार किए गए हैं। इन विषयों में से प्रत्येक में एक से अधिक एसडीजी शामिल हैं, जो विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए विभिन्न मंत्रालयों और योजनाओं के लिए मैप किए गए हैं। एसडीजी के स्थानीयकरण की प्रक्रिया में 'संपूर्ण सरकार' और 'संपूर्ण समाज' की भावना को आत्मसात करते हुए कई हस्तक्षेप/कार्य किए गए हैं, जिसमें केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों, शैक्षिक संस्थानों, सीएसओ के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर सामूहिक प्रयास करते हुए विभिन्न

मुद्दों पर काम करना शामिल है। 21 मंत्रालयों के 26 विभाग 9 विषयगत क्षेत्रों में संयुक्त संकल्प और संयुक्त सुझाव पर हस्ताक्षर करके एलएसडीजी की पूर्ति की दिशा में काम करने के लिए साझेदारी की भावना को मूर्त रूप देते हुए एक साथ आए हैं।

पंचायतों में एसडीजी के स्थानीयकरण और उपलब्धि की गति में तेजी लाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय ने व्यापक ग्रामीण योजना के लिए एलएसडीजी के विषयों पर संकल्प लेने के लिए ग्राम पंचायत को शामिल करके विषयगत ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) तैयार करने की प्रक्रिया को मजबूत करने की पहल की है और एलएसडीजी के 9 विषयों के साथ संरेखित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहे हैं । इसके अलावा, आरजीएसए की योजना को एसडीजी के संबंध में अच्छा कार्य करने के लिए पीआरआई को सक्षम बनाने पर ध्यान देने सहित नया रूप दिया गया है।“

4.14 <u>पंचायतों को प्रोत्साहन प्रदान करना</u>

पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) पंचायतों के 100% केंद्रीय वित्तपोषित प्रोत्साहन योजना के तहत राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों/राज्यों/संघ शासित प्रदेशों (यूटी) को प्रोत्साहित कर रहा है, जो राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) की केंद्र प्रायोजित योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है। एसडीजी के स्थानीयकरण के 9 पहचाने गए विषयों नामत: (i) गरीबी मुक्त और उन्नत आजीविका वाली पंचायत (ii) स्वस्थ पंचायत (iii) बाल -हितैषी पंचायत (iv)) जल पर्याप्त पंचायत (v) स्वच्छ और हरित पंचायत (vi) आत्मनिर्भर बुनियादी दांचा वाली पंचायत (vii) सामाजिक रूप से संरक्षित पंचायत (viii) सुशासन वाली पंचायत (ix) महिला हितैषी पंचायत के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों (एस डी जी) की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थानों के कार्य-निष्पादन का आकलन करने के लिए इन पुरस्कारों को वर्ष 2022 से नया रूप दिया गया है।संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार प्रतियोगिता ब्लॉक, जिला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर पिरामिड और बहु-स्तरीय होगी, जहां पुरस्कृत ग्राम पंचायतों को संबंधित स्तर पर सूचीबद्ध किया जाएगा और आगे उच्च स्तर के लिए नामांकित किया जाएगा। संशोधित राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार देश भर में सभी भाग लेने वाली ग्राम पंचायतों / समकक्ष निकायों की हर स्तर पर रैंकिंग करेगा, यानी ब्लॉक, जिला, राज्य / केंद्र शासित प्रदेश और राष्ट्रीय एलएसडीजी विषय के तहत उनकी स्थिति

का मूल्यांकन करने के लिए एक आधार रेखा बनाना संभव होगा। यह इन स्थानीय निकायों को वर्ष 2030 तक चरणबद्ध तरीके से एसडीजी प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। इसके अलावा, ग्राम पंचायतों और संस्थानों के लिए विशेष पुरस्कार भी रखे गए हैं। वर्ष 2023 से शुरू की गई राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों की श्रेणियां निम्नानुसार हैं:

i. **दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** नौ पुरस्कार विषयों में से प्रत्येक के तहत शीर्ष 3 रैंकिंग वाली ग्राम पंचायतों के लिए।

ii. **नानाजी देशमुख सर्वोत्तम पंचायत सतत विकास पुरस्कार:** सभी नौ विषयों के तहत अधिकतम कुल/औसत स्कोर वाली शीर्ष 3 ग्राम पंचायतों के लिए और सभी संबंधित ग्राम पंचायतों के सभी विषयों के तहत अधिकतम कुल स्कोर वाली शीर्ष 3 ब्लॉक और जिला पंचायतों के लिए।

iii. **ग्राम ऊर्जा स्वराज विशेष पंचायत पुरस्कार:** ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों को अपनाने और उपयोग के संबंध में उनके कार्य-निष्पादन हेतु 3 ग्राम पंचायतों के लिए

iv. **कार्बन न्यूट्रल विशेष पंचायत पुरस्कार:** नेट-जीरो कार्बन उत्सर्जन की स्थिति तक पहुँचने की दिशा में अनुकरणीय कार्य करने वाली 3 ग्राम पंचायतों के लिए

v. **पंचायत क्षमता निर्माण सर्वोत्तम संस्थान पुरस्कार:** देश भर के 3 संस्थानों के लिए जिन्होंने सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण को प्राप्त करने में ग्राम पंचायतों को संस्थागत सहायता प्रदान की है।

4.15 **पिछले तीन वर्षों अर्थात 2019-20, 2020-21, 2021-22 और 2022-23 (31.12.2022 तक) के दौरान राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी पुरस्कार राशि/वित्तीय प्रोत्साहन का विवरण:**

(राशि रु. करोड़ में)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31-12-22 तक)
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0.05	0.18	0	0.36
2.	आंध्र प्रदेश	2.20	2.47	2.95	2.59
3.	अरुणाचल प्रदेश	0.50	0.15	0.85	0.85
4.	असम	0.97	1.59	1.62	1.59
5.	बिहार	0.25	2.76	2.27	2.3
6.	छत्तीसगढ़	1.55	1.54	1.6	1.69
7.	दादरा और नगर हवेली	0	0.70	0.35	0.25
8.	दमन और दीव	0	0.35	0.32	

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2019-20	2020-21	2021-22	2022-23 (31-12-22 तक)
9.	गोवा	0	0	0	0
10.	गुजरात	0.05	3.62	1.88	1.87
11.	हरियाणा	0.05	2.86	1.48	0.58
12.	हिमाचल प्रदेश	1.33	1.54	1.41	1.44
13.	जम्मू और कश्मीर	0.05	0.60	0.36	1.4
14.	झारखंड	1.36	1.52	1.59	1.59
15.	कर्नाटक	1.63	0.10	1.87	2.13
16.	केरल	0.25	1.75	2.1	2.65
17.	लद्दाख	0	0	0	0.43
18.	लक्षद्वीप	0	0.05	0.3	0
19.	मध्य प्रदेश	2.35	0.05	5.13	2.72
20.	महाराष्ट्र	0	2.31	4.6	2.71
21.	मणिपुर	0.78	0.25	1.76	0.94
22.	मेघालय	0.05	0	0.05	0.05
23.	मिजोरम	0	0	0.25	0.3
24.	नागालैंड	0	0.26	0.36	0
25.	ओडिशा	0	2.97	1.87	2.89
26.	पंजाब	1.62	1.64	1.74	1.68
27.	राजस्थान	1.34	1.83	1.72	1.88
28.	सिक्किम	0.81	0.86	0.86	0.86
29.	तमिलनाडु	0.05	3.56	1.87	1.8
30.	तेलंगाना	0.05	2.91	1.68	2.46
31.	त्रिपुरा	1.06	1.36	1.43	1.4
32.	उत्तराखंड	0.05	2.96	1.49	1.51
33.	उत्तर प्रदेश	4.70	4.79	4.78	3.83
34.	पश्चिम बंगाल	1.60	1.65	1.95	2.75
कुल		**24.70**	**49.18**	**52.49**	**49.50**

4.16 मंत्रालय ने वर्ष 2022-23 के बजटीय आबंटन को बजट अनुमान चरण में 47.80 करोड़ रुपये से संशोधित अनुमान चरण में 50.82 करोड़ रुपये किए जाने का निम्न कारण बताया:-

> "पुरस्कार और संबंधित गतिविधियों के लिए प्रतिबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए संशोधित अनुमान चरण में बजटीय आवंटन में वृद्धि आवश्यक थी। दिनांक 31.12.2022 की स्थिति के अनुसार लगभग 49.67 करोड़ रुपये व्यय किया जा चुका है। आबंटित राशि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अंत तक पूरी तरह खर्च होने की उम्मीद है।"

4.17 यह पूछे जाने पर कि चालू वर्ष में देश में पंचायत प्रोत्साहन योजना के तहत पुरस्कार प्रदान करने के लिए कितनी पंचायतों की पहचान की गई है तथा क्या बजट अनुमान 2023-24 के तहत आबंटित निधि मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगी, मंत्रालय ने निम्नवत् उत्तर दिया:

> "आगामी राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के लिए, जिसे अप्रैल, 2023 में प्रदान किया जाएगा, पंचायती राज संस्थानों (अन्य संस्थानों / संगठनों सहित) के लिए राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सिफारिशों और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा अंतिम चयन के आधार पर सम्मानित करने के लिए लगभग 45 पुरस्कारों की पहचान किए जाने की संभावना है। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 47.80 करोड़ रुपये का आबंटित बजट पर्याप्त प्रतीत होता है।"

4.18 मंत्रालय ने विगत तीन वर्षों में इस घटक के तहत प्रोत्साहन प्राप्त ग्राम पंचायतों और उनकी उपलब्धियों का ब्यौरा निम्नवत् प्रस्तुत किया:-

> "गत तीन वर्षों के दौरान पुरस्कारों की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रोत्साहन प्राप्त ग्राम पंचायतों की संख्या निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**पुरस्कारों की श्रेणी (पंचायतों के लिए)**	**पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की संख्या**		
		अवार्ड वर्ष 2020	**अवार्ड वर्ष 2021**	**अवार्ड वर्ष 2022**
क	दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार (डीडीयूपीएसपी)	139	148	156
ख	नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार (एनडीआरजीजीएसपी)	27	30	27

क्र.सं.	पुरस्कारों की श्रेणी (पंचायतों के लिए)	पुरस्कृत ग्राम पंचायतों की संख्या		
		अवार्ड वर्ष 2020	अवार्ड वर्ष 2021	अवार्ड वर्ष 2022
ग	ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार (जीपीडीपीए)	28	30	29
घ	बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार (सीएफजीपीए)	30	30	29

स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के कोड सहित राज्य, जिला, ब्लॉक आदि जैसे ग्राम पंचायतों का और अधिक विवरण मंत्रालय की वेबसाइट https://www.panchayat.gov.in/web/ministry-of-panchayati-raj-2/list-of-awardee-panchayats पर उपलब्ध है।

4.19 मंत्रालय ने जानकारी दी कि विगत वर्षों में इस योजना के तहत प्रोत्साहन प्राप्त ग्राम पंचायतों की उत्कृष्ट प्रथाओं को लोकप्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं:-

"24 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस (एनपीआरडी) के अवसर पर प्रदान किए जाने वाले राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों में केंद्रीय और राज्यों के मंत्रियों, उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्तियों और पुरस्कार विजेताओं के अलावा देश भर की विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधियों ने (वर्चुअली या वास्तविक रूप से) भाग लिया। यह अवसर पुरस्कृत पंचायतों की उपलब्धियों/सर्वोत्तम प्रथाओं पर प्रकाश डालता है और उनका प्रचार करता है। इसके अलावा, पुरस्कृत पंचायतों के बीच, मंत्रालय कुछ चयनित ग्राम पंचायतों की सर्वोत्तम प्रथाओं को संकलित करता है जिसे मंत्रालय की वेबसाइट (https://www.panchayat.gov.in/web/ministry-of-panchayati-raj-2/best-practices) पर अपलोड किया गया है और मंत्रालय के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से समय-समय पर प्रचारित भी किया जाता है। इसके अलावा, मंत्रालय और राज्यों द्वारा विषयगत ऑडियो-वीडियो कार्यक्रम तैयार किए गए हैं, जिन्हें सभी पीआरआई के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर के सम्मेलनों/कार्यशालाओं में चलाने के अलावा विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया जाता है।"

4.20 यह पूछे जाने पर कि विभिन्न श्रेणियों के प्रोत्साहन पुरस्कारों के लिए निर्धारित मापदंडों की तुलना में किन राज्यों का प्रदर्शन सबसे कमतर पाया गया है और उन राज्यों को बेहतर प्रदर्शन के लिए सहमत करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं, मंत्रालय ने निम्न विवरण दिया:-

> "राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 के तहत, पंचायतों का मूल्यांकन किया जाता है और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें रैंक दी जाती है। राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 प्रतियोगिता में पंचायतों के विभिन्न स्तरों द्वारा भागीदारी के स्तर को ध्यान में रखते हुए, जो पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, गोवा और अरुणाचल प्रदेश राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों की पंचायतों के प्रदर्शन, जो पिछड़ती हुई पाई गई, पर आधारित है। मंत्रालय ने संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की सरकारों को पुरस्कार प्रतियोगिता में कम भागीदारी के कारणों का पता लगाने की सलाह दी है, जिसके आधार पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव दिया जा सकता है।"

4.21 **<u>ई-पंचायत मिशन मोड परियोजना</u>**

ई-पंचायत को 2012-13 में पूर्ववर्ती राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आरजीपीएसए) योजना में सम्मिलित किया गया था। ई-पंचायत के लिए राज्यों को सीधे कोई निधि जारी नहीं की जाती है। ई-ग्रामस्वराज और अन्य एप्लीकेशन, संकाय सहायता और कार्यक्रम प्रबंधन संबंधी रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में केवल नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेस इनकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई) को निधियां जारी की जाती हैं। 2018-19 से, ई-पंचायत, प्रमुख योजना – राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के का एक घटक है।

मंत्रालय ने ई- पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी) के तहत सभी अनुप्रयोगों की कार्यात्मकताओं को समाहित करते हुए पंचायती राज के लिए एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग ईग्राम स्वराज तैयार किया है। इस प्रयास में, मंत्रालय ने एक ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली स्थापित की है। जिसमें पंचायत योजना, वास्तविक प्रगति, वित्तीय प्रगति, और स्थानीय सरकार निर्देशिका (एलजीडी) के साथ संपत्ति प्रबंधन शामिल है, जो सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस), विशेष योजना और जियोटैगिंग के साथ ऐसी मजबूत प्रणाली के लिए आधार बनाती है। मंत्रालय सार्वजनिक सरकारी और गैर-सरकारी ऑनलाइन सेवाओं के एंड-टू-एंड अनुभव को बढ़ाने के लिए अपनी विज़न के प्रति डिजिटल प्रौद्योगिकी का उपयोग करने का प्रयास करता है।

- इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए भारतनेट का लाभ उठाते हुए पंचायत संचालन का कम्प्यूटरीकरण
- एप्लिकेशन को कहीं से भी और हर जगह से एक्सेस करने के लिए मोबाइल आधारित बनाया जाना है

4.22 मंत्रालय ने ई-पंचायतों के कामकाज और उन्हें पेपरलेस बनाने के संबंध में एक विस्तृत नोट के माध्यम से निम्नवत् बताया:-

> "मंत्रालय ने मिशन मोड दृष्टिकोण से देश की सभी पंचायतों को सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) सक्षम बनाने के लिए एक योजना तैयार की है। ई-पंचायत भारत सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत मिशन मोड परियोजनाओं (एमएमपी) में से एक है, जो पंचायती राज संस्थानों (पीआरआई) के कामकाज में परिवर्तन लाने की कोशिश करती है, जिससे उन्हें अंतिम छोर पर विकेन्द्रीकृत स्थानीय स्वशासन के निर्णायक अंगों के रूप में अधिक पारदर्शी, उत्तरदायी और प्रभावी बनाया जा सके।
>
> इस परियोजना का उद्देश्य देश भर में लगभग 2.71 लाख पंचायतों या समकक्ष निकायों की आंतरिक कार्यप्रवाह प्रक्रियाओं को स्वचालित करना है, जिससे लगभग 30 लाख निर्वाचित सदस्य और लगभग 10 लाख पीआरआई कार्यकर्ता लाभान्वित होंगे और स्थानीय शासन में सुधार होगा और लोकतंत्र जमीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से काम करेगा।
>
> एमएमपी के तहत, पंचायतों के कामकाज के विभिन्न पहलुओं जैसे आयोजना, बजटन, कार्यान्वयन, लेखांकन, निगरानी, सामाजिक लेखा परीक्षा और नागरिक सेवाओं की प्रदायगी जैसे प्रमाणपत्र, लाइसेंस आदि जारी करने के लिए कोर कॉमन सॉफ्टवेयर एप्लिकेशन का एक सेट/सूट तैयार किया गया था। ग्रामीण भारत को सशक्त बनाने और रूपांतरित करने के लिए डिजिटल पंचायतों की शुरूआत करने की दृष्टि से ई-ग्राम स्वराज (https://egramswaraj.gov.in/) शुरू किया गया।यह सरपंच और पंचायत सचिव विवरण, पंचायत का जनसांख्यिकीय विवरण, पंचायत वित्तीय का विवरण, परिसंपत्ति विवरण, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के माध्यम से की गई गतिविधियों, अन्य मंत्रालय/ विभाग जैसे जनगणना 2011, एसईसीसीडेटा, मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण रिपोर्ट आदि से पंचायत की जानकारी सहित ग्राम पंचायत की पूरी प्रोफ़ाइल के लिए सिंगल विंडो

प्रदान करता है। ई-ग्राम स्वराज पंचायत की गतिविधियों की रिपोर्टिंग और ट्रैकिंग में सुधार करता है, पंचायत की जानकारी प्राप्त करने के लिए एकल इंटरफ़ेस प्रदान करता है। यह आयोजना प्रक्रिया को मजबूत और विकेन्द्रीकृत करता है ताकि योजनाओं द्वारा उपयोग की गई विकास निधियों के परिणामस्वरूप प्रभावी परिणाम प्राप्त हों।

यह एप्लीकेशन ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) के तहत प्रस्तावित प्रत्येक गतिविधियों के लिए किए गए प्रत्येक व्यय पर नज़र रखने, कार्य आधारित लेखांकन पर केंद्रित है। मंत्रालय ने खातों के रखरखाव में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व बढ़ाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का बेहतर वित्तीय प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पीएफएमएस के साथ ई-ग्राम स्वराज को एकीकृत किया है। ई-ग्राम स्वराज पीएफएमएस इंटरफेस ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं/ सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय भुगतान करने के लिए अपने आप में विशिष्ट है। सभी लेन-देन सुरक्षित हैं, और भुगतान वाउचर 2 कारक प्रमाणीकरण का उपयोग करके बनाए गए हैं। अब तक, 2.22 लाख ग्राम पंचायत या समकक्ष निकायों (टीएलबी सहित) ने 1 लाख करोड़ रुपये से अधिक का ऑनलाइन लेनदेन किया है।"

4.23 पिछले तीन वर्षों के दौरान योजना के तहत आबंटित राशि को खर्च करने में मंत्रालय की असमर्थता के संबंध में प्रश्न किए जाने पर मंत्रालय ने निम्नवत् उत्तर दिया:-

"ई-ग्रामस्वराज और अन्य अनुप्रयोगों, संकाय समर्थन और कार्यक्रम प्रबंधन के रखरखाव और प्रशिक्षण के लिए केंद्रीय स्तर की सहायता के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक (एनआईसीएसआई) को फंड जारी किया जाता है। व्यय में कमी निम्नलिखित कारणों से थी-

- कार्यान्वयन एजेंसी के पास पिछले वर्षों में कुछ धनराशि अप्रयुक्त छोड़ दी गई थी।
- कोविड गाइडलाइन के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में ई-ग्राम स्वराज और अन्य अनुप्रयोगों पर हैंडहोल्डिंग और क्षमता निर्माण की मांगों में कमी और प्रशिक्षण पद्धति के वर्चुअल तरीकों को अपनाना।"

4.24 मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेस इनकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआई) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी) को जारी की गई धनराशि का निम्नवत् विवरण दिया:-

"पिछले तीन वर्षों के दौरान नेशनल इन्फोरमेटिक्स सेंटर सर्विसेस इनकॉर्पोरेटेड (एनआईसीएसआई), राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान (एनआईआरडी एण्ड पीआई) और राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एसआईआरडी)को जारी की गई धनराशि का विवरण निम्नानुसार है:

(राशि करोड़ रुपए में)

वर्ष/संगठन	**एनआईसीएसआई**	**एनआईआरडीपीआर**	**एसआईआरडी**
2019-20	7.08	0.16	शून्य
2020-21	17.79	शून्य	शून्य
2021-22	11.22	शून्य	शून्य

4.25 निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायती राज पदाधिकारियों के लिए पीईएस एप्लीकेशन के प्रति अभिमुखता उत्पन्न करने के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में मंत्रालय ने निम्न विवरण दिया:-

"मंत्रालय ने राज्य स्तरीय प्रशिक्षकों को ई-पंचायत एमएमपी/ई-ग्राम स्वराज के तहत विभिन्न अनुप्रयोगों पर सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2022-23 में 17 तथा वर्ष 2021-22 में 20 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए है।"

4.26 **पंचायत भवन और कम्प्यूटर सहित ग्राम पंचायतों की संख्या**

क्र.सं.	**राज्यों के नाम**	**कंप्यूटर के साथ जीपी/टीएलबी की संख्या**	**भवन के साथ जीपी/टीएलबी की संख्या**
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	271	59
2	आंध्र प्रदेश	10017	11162
3	अरुणाचल प्रदेश	305	697
4	असम	1156	2036
5	बिहार	6677	1424
6	छत्तीसगढ़	7042	11553

क्र.सं.	राज्यों के नाम	कंप्यूटर के साथ जीपी/टीएलबी की संख्या	भवन के साथ जीपी/टीएलबी की संख्या
7	गोवा	191	187
8	गुजरात	14359	14211
9	हरियाणा	1720	3166
10	हिमाचल प्रदेश	3281	3217
11	जम्मू और कश्मीर	3973	2903
12	झारखंड	3516	4230
13	कर्नाटक	5958	5550
14	केरल	941	940
15	लद्दाख	130	184
16	लक्षद्वीप	10	5
17	मध्य प्रदेश	23066	22291
18	महाराष्ट्र	26923	23891
19	मणिपुर	3758	161
20	मेघालय	7368	5413
21	मिजोरम	243	427
22	नागालैंड	553	664
23	ओडिशा	6794	6798
24	पुदुचेरी	100	77
25	पंजाब	7304	8069
26	राजस्थान	10223	9701
27	सिक्किम	13	176
28	तमिलनाडु	10099	11194
29	तेलंगाना	4436	4783
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	25
31	त्रिपुरा	505	1132
32	उत्तर प्रदेश	47788	54010
33	उत्तराखंड	7791	6610
34	पश्चिम बंगाल	3340	3316
कुल		**219889**	**220262**

4.27 भारतनेट कनेक्टिविटी

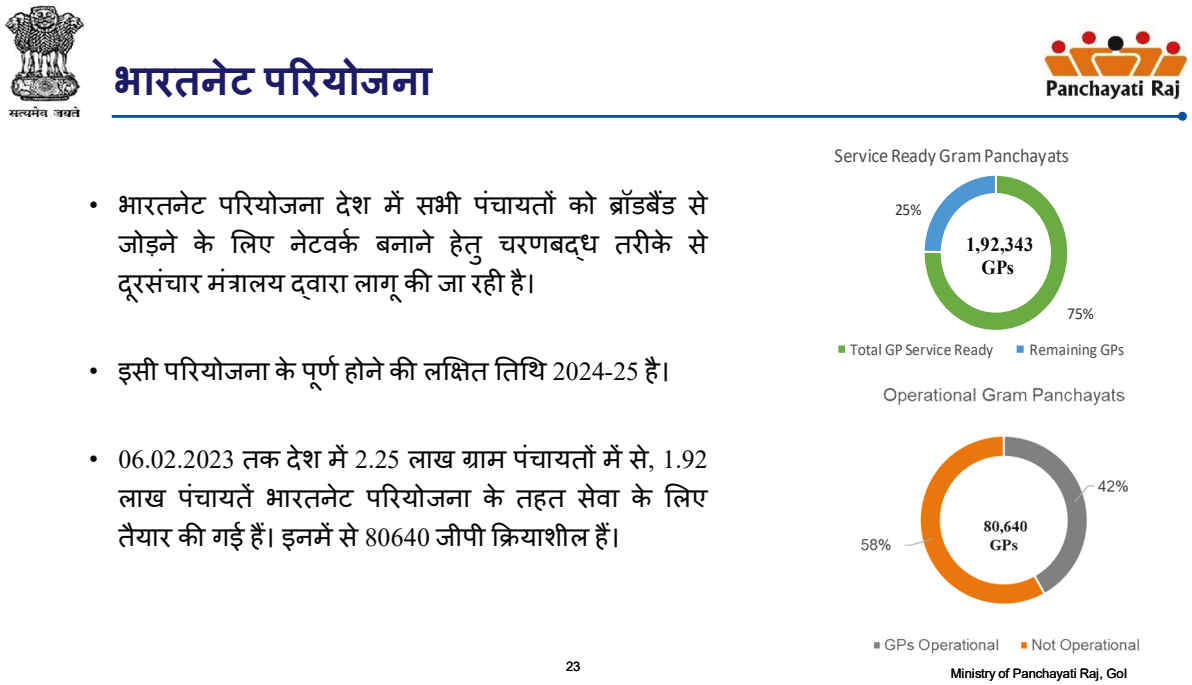

4.28 सेवा के लिए तैयार ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या (टीएलबी सहित)

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सेवा हेतु तैयार कुल जीपी
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70
2	आंध्र प्रदेश	5216
3	अरुणाचल प्रदेश	773
4	असम	1640
5	बिहार	8160
6	छत्तीसगढ़	9567
7	गोवा	0
8	गुजरात	14359
9	हरियाणा	6204
10	हिमाचल प्रदेश	414
11	जम्मू और कश्मीर	1106
12	झारखंड	4345

क्र.सं.	राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश	सेवा हेतु तैयार कुल जीपी
13	कर्नाटक	5958
14	केरल	941
15	लद्दाख	192
16	लक्षद्वीप	9
17	मध्य प्रदेश	18062
18	महाराष्ट्र	24032
19	मणिपुर	1465
20	मेघालय	680
21	मिजोरम	441
22	नागालैंड	229
23	ओडिशा	6794
24	पुदुचेरी	101
25	पंजाब	12807
26	राजस्थान	8991
27	सिक्किम	31
28	तमिलनाडु	1111
29	तेलंगाना	9068
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38
31	त्रिपुरा	755
32	उत्तर प्रदेश	41079
33	उत्तराखंड	1828
34	पश्चिम बंगाल	2815
कुल		**189281**

4.29 सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन वाले ग्राम पंचायतों की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य	कुल आरएलबी	दिनांक 21-01-2023 को आरएलबी में सक्रिय इंटरनेट
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	70	27
2	आंध्र प्रदेश	13325	1755
3	अरुणाचल प्रदेश	2108	143
4	असम	2197	604
5	बिहार	8160	3463

क्र.सं.	राज्य	कुल आरएलबी	दिनांक 21-01-2023 को आरएलबी में सक्रिय इंटरनेट
6	छत्तीसगढ़	11659	4891
7	गोवा	191	0
8	गुजरात	14359	11167
9	हरियाणा	6220	3570
10	हिमाचल प्रदेश	3615	302
11	जम्मू और कश्मीर	4291	382
12	झारखंड	4345	2101
13	कर्नाटक	5958	3314
14	केरल	941	941
15	लद्दाख	193	43
16	लक्षद्वीप	10	3
17	मध्य प्रदेश	23066	3555
18	महाराष्ट्र	27923	10000
19	मणिपुर	3818	302
20	मेघालय	9039	116
21	मिजोरम	834	59
22	नागालैंड	1291	28
23	ओडिशा	6794	4308
24	पुदुचेरी	108	91
25	पंजाब	13241	9483
26	राजस्थान	11279	7319
27	सिक्किम	198	7
28	तमिलनाडु	12524	484
29	तेलंगाना	12769	3719
30	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	38	17
31	त्रिपुरा	1219	271
32	उत्तर प्रदेश	58189	5014
33	उत्तराखंड	7791	1010
34	पश्चिम बंगाल	3339	2153
कुल		**271102**	**80742**

4.30 सचिव, एमओपीआर ने साक्ष्य के दौरान ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की वर्तमान स्थिति के बारे में समिति को निम्नवत अद्यतन जानकारी प्रदान की:

> "एक अन्य महत्वपूर्ण परियोजना भारतनेट परियोजना है। अभी तक 2.5 लाख पंचायतों में से 1.9 लाख पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है, लेकिन सभी पंचायतें कार्यशील नहीं है। केवल 80,000 पंचायतें कार्यशील हैं। यहाँ कुछ कमियां हैं। हम दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालयों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि यह देखा जा सके कि इस कमी को कैसे पूरा किया जा सकता है। सभी पंचायतों तक पहुंचने की लक्ष्य तिथि 2024-25 है। अभी दो वर्ष और बाकी हैं। मूल रूप से, पहाड़ी क्षेत्रों, पूर्वोत्तर क्षेत्रों और जम्मू-कश्मीर में भारतनेट के माध्यम से पहुंचने में लगभग 2025 का समय लगेगा। अन्य जिलों में यह लगभग उपलब्ध है। हमें आशा है कि अगले छह महीनों में हम इसमें पर्याप्त प्रगति करेंगे"।

4.31 ग्राम पंचायतों द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सार्वजनिक सेवाओं/दस्तावेजों की संख्या के संबंध में सचिव, एमओपीआर ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत जानकारी प्रदान की:

> "दस्तावेज सभी स्टेट में अलग-अलग सूची होती है। वर्ष 2021 में हम लोगों ने एक सिटीजन चार्टर कैम्पेन शुरू किया और पाया कि पूरे देश में अलग-अलग स्टेट्स का गिने तो 912 सर्विसेज पंचायतों द्वारा संचालित हो रही थी, कहीं कम थी और कहीं ज्यादा, कहीं सर्विसेज आनलाइन थी और कहीं ऑफलाइन थी। अब जब हम लोगों को पता चल गया है कि कौन सेवा किस राज्य में पंचायतों द्वारा दी जाती है। हम लोग एक समयबद्ध तरीके से उन सभी सेवाओं को आनलाइन करने का प्रयास कर रहे हैं, जिस की शुरूआत हरियाणा और मध्यप्रदेश में कर भी चुके हैं।"

4.32 **<u>कार्य अनुसंधान और प्रचार</u>**

योजना कार्य अनुसंधान और प्रचार ('मीडिया और प्रचार' और 'कार्य अनुसंधान तथा अनुसंधान अध्ययन' की योजना को मिलाकर) का मुख्य उद्देश्य समर्थन, जागरूकता और प्रचार के लिए सभी उपलब्ध मीडिया प्लेटफार्मों के माध्यम से प्रभावी संचार करना है। पंचायती राज और इसके कार्यक्रमों के बारे में जिनका उद्देश्य सभी स्तरों पर पंचायतों के भीतर क्षमता निर्माण और कार्य-निष्पादन को बढ़ाना है। योजना का अनुसंधान घटक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन

करने के लिए संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन करने के लिए है। 100 प्रतिशत केंद्रीय वित्तपोषित योजना आरजीएसए योजना का एक केंद्रीय घटक है।

कार्य अनुसंधान और प्रचार मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों के प्रभावी संचार और प्रचार के लिए उनके पूर्व प्रस्ताव या शॉर्ट नोटिस पर प्रस्तावों के आधार पर धन का उपयोग करता है। योजना का अनुसंधान घटक पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) से संबंधित सरकार की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों/पहलों के प्रभाव का आकलन करने के लिए संस्थानों के माध्यम से अनुसंधान अध्ययन करने के लिए है।

प्रतिबद्ध देनदारियों और बकाया भुगतान की संभावना को कम करने के लिए परियोजना के पूरा होने के बाद कम से कम समय के भीतर हर गतिविधि के लिए समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सभी मीडिया/आईईसी गतिविधियों की प्रभावी ढंग से योजना, निष्पादन और निगरानी की जाएगी । मासिक व्यय योजना (एमईपी) और त्रैमासिक व्यय योजना (क्यूईपी) का पालन करने जैसे उन्नत निगरानी उपायों के माध्यम से महीने के दौरान की गई वितीय प्रगति की बारीकी से निगरानी की जाती है। मंत्रालय ने फेसबुक , ट्विटर और यूट्यूब (वीडियो अपलोड के लिए) जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपने कार्यक्रमों और विजन की पहुंच में सुधार करने की कोशिश की है। पिछले और वर्तमान वर्षों में संख्या में महत्वपूर्ण सुधार देखा गया है। इन सभी प्लेटफार्मों पर आगंतुकों की संख्या और सोशल मीडिया आउटरीच / एंगेजमेंट में पर्याप्त वृद्धि हुई है। इसके अलावा, मंत्रालय सीधे देश भर की 2.5 लाख से अधिक पंचायतों तक कोविड-19 और अन्य महत्वपूर्ण संदेशों पर जागरूकता पैदा करने के लिए बल्क एसएमएस के माध्यम से पहुँच बनाई है।

4.33 मंत्रालय से कार्य अनुसंधान और प्रचार हेतु 2022-23 में 13.00 करोड़ रूपये के बजट अनुमान की तुलना में वर्ष 2023-24 में 8 करोड़ रूपये के कम बजट अनुमान का कारण पूछे जाने पर, मंत्रालय ने निम्नलिखित कारण प्रस्तुत किए हैं:

> "त्रैमासिक समाचार पत्रिका 'ग्रामोदय संकल्प' के भौतिक मुद्रण को बंद करने और संबंधित डाक वितरण व्यय के कारण और इसके संचार के डिजिटल मोड पर अधिक जोर देने के कारण बजट प्रावधान आनुपातिक रूप से कम कर दिया गया था।"

4.34 मंत्रालय ने वर्तमान में चल रहे और पिछले तीन वर्षों में किए गए अध्ययनों के संबंध में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किया है:

"वर्तमान में, स्वीकृत 12 अध्ययनों में से 3 अध्ययन प्रगति पर हैं, 2 अध्ययनों पर मसौदा रिपोर्ट अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं और 7 अध्ययन पिछले तीन वर्षों में "कार्य अनुसंधान एवं अनुसंधान अध्ययन (एआर एंड आरएस)" घटक के तहत पूरे किए गए हैं", जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।"

वर्ष	**स्वीकृत अध्ययनों की संख्या**	**पूर्ण किए गए अध्ययनों की संख्या**	**टिप्पणियाँ**
2020-21	4	4	-
2021-22	5	3	2 अध्ययनों की ड्राफ्ट रिपोर्ट अनुमोदन के अंतिम चरण में हैं।
2022-23 (23.01.2023 **के अनुसार**)	3	-	दूसरी तिमाही के दौरान अध्ययनों को मंजूरी दी गई थी**,** इसलिए पहली मसौदा रिपोर्ट मार्च**, 2023** में ही आने की उम्मीद है।
कुल	**12**	**7**	

नोट: वर्ष 2019-20 के दौरान, निधि की कमी के कारण, कोई नया अध्ययन स्वीकृत नहीं किया गया था।"

अध्याय-5

स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) योजना

5.1 स्वामित्व (गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी से मानचित्रण) माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 24 अप्रैल, 2020 को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना का उद्देश्य गाँवों में आबाद ग्रामीण क्षेत्रों में गृह स्वामियों को 'हक - विलेख' प्रदान करना और संपत्ति के मालिकों को "संपत्ति कार्ड" जारी करना है। योजना के तहत अधिकांश धनराशि सीओआरएस और एलएसएम घटकों के लिए निर्धारित की गई है और इन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए स्वीकृत किया गया है। आईईसी और एसपीएमयू घटकों के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सीमित मात्रा में निधियां जारी की जाती हैं। स्थानिक योजना एप्लीकेशन "ग्राम मनचित्र" और ऑनलाइन निगरानी प्रणाली: सेंट्रल इन्फ्रास्ट्रक्चर - हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर और एनपीएमयू को बढ़ाने के लिए एनआईसीएसआई को धनराशि भी प्रदान किया जाता है।

योजना के निम्नलिखित घटकों के लिए निधि जारी की जाती है:

i. **सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना** (भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वित्तपोषित)

यह घटक भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा सीओआरएस(कोर्स) नेटवर्क स्थापित करता है। यह सीओआरएस नेटवर्क की स्थापना के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

ii. **ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण (भारतीय सर्वेक्षण विभाग को वित्त पोषित)**

इस घटक को देश के आबाद गांवों में ड्रोन का उपयोग करके बड़े पैमाने पर मानचित्रण के लिए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा।

iii. **आईईसी पहल** (एमओपीआर द्वारा राज्य के राजस्व विभाग को वित्तपोषित)

सर्वेक्षण पद्धति और इसके लाभों के बारे में स्थानीय आबादी को जागरूक करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम। पंचायती राज मंत्रालय राज्य के राजस्व विभाग/नोडल विभाग को निधि प्रदान करेगा।

iv. परियोजना प्रबंधन:

क) पंचायती राज मंत्रालय में राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वित्त पोषित)

ख) राज्य राजस्व विभाग में राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई की स्थापना (राज्य राजस्व विभाग को एमओपीआर द्वारा वित्तपोषित)

v. एप्लीकेशन संवर्द्धन - क. ग्राम मानचित्र, **ख. स्वामित्व डैशबोर्ड** (एमओपीआर द्वारा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को वित्त पोषित)

vi. प्रलेखन समर्थन, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय स्तर की कार्यशाला और एक्सपोजर दौरे (अनुदान सहायता मद के तहत राज्य/किसी भी सरकारी एजेंसी को एमओपीआर द्वारा वित्तपोषित) योजना के तहत अधिकांश धनराशि सीओआरएस और एलएसएम घटकों के लिए निर्धारित की गई है और इन्हें भारतीय सर्वेक्षण विभाग के लिए स्वीकृत किया गया है। आईईसी और एसपीएमयू घटकों के तहत सीमित पैमाने पर राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को निधि जारी किया जाता है।

5.2 योजना का वास्तविक कार्य-निष्पादन

क्र. सं.	योजना/गतिविधि	2020-21 का लक्ष्य भौतिक	2020-21 की उपलब्धि भौतिक	2021-22 का लक्ष्य भौतिक	2021-22 की उपलब्धि भौतिक
i.	ड्रोन उड़ान पूरी करने वाले गांवों की संख्या	1.01 लाख गांव	40,514 गांव	1,92,001 गांव	94,387 गांव
ii.	जांच प्रक्रिया/आपत्ति प्रक्रिया के बाद जनरेट किए गए गांवों के ननक्शों की संख्या	1.01 लाख गांव	7,954 गांव	1,92,001 गांव	40,785 गांव
iii.	स्मारकीय/ मोनुमेन्टेड कॉर्स स्थलों की संख्या	210 कॉर्स	119 कॉर्स	357 कॉर्स	209 कॉर्स

नोट: वर्ष 2020-21 में, स्वामित्व योजना पायलट चरण में थी और पायलट आधार पर नौ राज्यों (हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और आंध्र प्रदेश) में लागू की गई थी।

5.3 योजना की राज्य-वार प्रगति

राज्य-वार प्रगति

2.25 लाख गांवों में ड्रोन सर्वे पूरा किया गया

हरियाणा, उत्तराखंड, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार दीप समूहों में योजना पूरी की गई

गोवा, दादरा नगर हवेली, दमन और दीप, लक्ष्यद्वीप, दिल्ली में ड्रोन उड़ान पूरी की गई

योजना पर ऑन-बोर्ड राज्यों के आधार पर ड्रोन सर्वेक्षण का लक्ष्य 3.72 लाख है।

06 फरवरी, 2023 तक की स्थिति

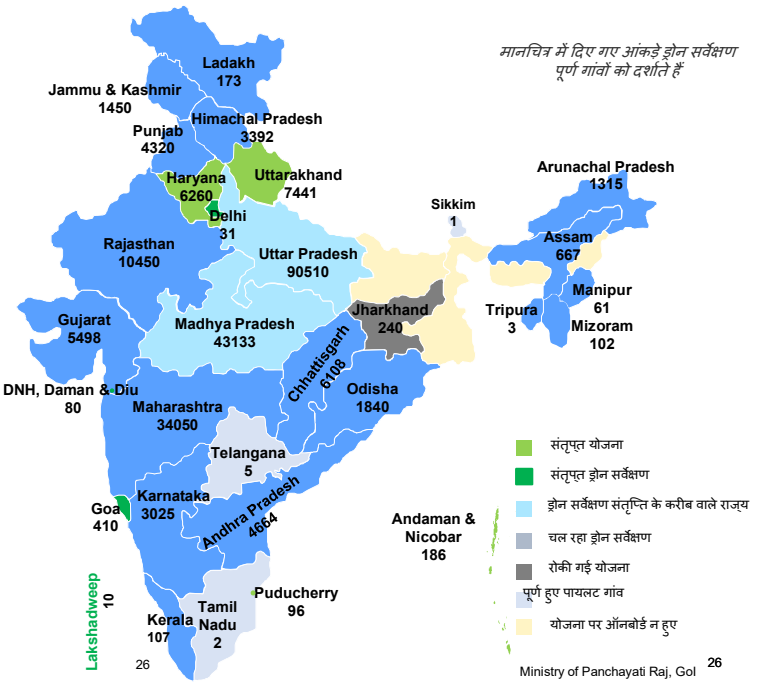

सृजित हुए संपत्ति कार्ड

Panchayati Raj

राज्य/ केंद्र शासित प्रदेश	गांवों की संख्या	संपत्ति कार्डों की संख्या
1. अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	141	7409
2. दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	75	4397
3. गुजरात	89	16089
4. हरियाणा	6260	2590473
5. हिमाचल प्रदेश	80	1200
6. जम्मू एव कश्मीर	180	5800
7. कनाटेक	2179	746632
8. लददाख	25	1534
9. मध्य प्रदेश	13220	1608447
10. महाराष्ट्र	4775	722612
11. ओडिशा	13	316
12. पुडुचेरी	92	3000
13. पंजाब	53	5347
14. राजस्थान	370	12174
15. उत्तर प्रदेश	33605	4978558
16. उत्तराखड	7441	278229
कुल	**68,598**	**1,09,82,217**

27

Ministry of Panchayati Raj, GoI

5.4 मंत्रालय ने स्वामित्व योजना के लिए निम्नलिखित कार्य योजना बनाई है:

- देश भर के सभी बसे हुए गांवों का ड्रोन आधारित सर्वेक्षण
- राज्यों/संघ शासित प्रदेशों के नियमों/अधिनियमों के अनुसार संपत्ति धारक के लिए कानूनी दस्तावेज "संपत्ति कार्ड" तैयार करना
- विविध अनुप्रयोगों के लिए स्थान संबंधी सेवाओं (लोकेशनल सर्विसेस) में 5 सेमी तक की सटीकता प्रदान करने के लिए देश भर में सतत प्रचालन संदर्भ स्टेशन (सीओआरएस) का संचालन

5.5 मंत्रालय से पिछले वर्षों की तुलना में योजना के बजट अनुमान में कमी के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नलिखित बताया:

> "पूरी योजना के लिए वर्षवार बजट परिव्यय विभिन्न वर्षों के दौरान योजना के कार्यान्वयन अनुसूची के अनुसार योजना के दिशानिर्देशों/ईएफसी में अनुमोदित किया गया था। वर्ष 2023-24 के लिए बजट अनुमान (बीई) पहले से स्वीकृत परिव्यय के अनुसार प्रस्तावित है और इसमें कोई कमी प्रस्तावित नहीं है।."

5.6 मंत्रालय से लगातार दो वर्षों अर्थात् 2020-21 और 2021-22 के वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं करने के कारण पूछे जाने पर मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया:

> "(i) योजना की शुरुआत सर्वे ऑफ इंडिया के पास उपलब्ध ड्रोन की न्यूनतम संख्या के साथ हुई थी। नई ड्रोन नीति के उद्भव और समय के साथ देश में ड्रोन इकोसिस्टम के विकास के साथ, पर्याप्त ड्रोन की उपलब्धता की दिशा में इसने विकास किया।
>
> (ii) भूमि राज्य का विषय होने के कारण, राज्यों को योजना को लागू करने के लिए अपने नियमों/अधिनियमों में संशोधन करने की आवश्यकता है। राज्यों में संपत्ति कार्ड बनाने के लिए मानचित्रों का जमीनी सत्यापन, घरेलू विशेषता संग्रह और आपत्ति/दावा और विवाद समाधान अवधि की गतिविधियां समय लेने वाली हैं।
>
> (iii) योजना के प्रारंभिक चरणों में कोविड-19 महामारी के कारण लगे प्रतिबंधों के परिणामस्वरूप योजना कार्यान्वयन में धीमी प्रगति हुई।

(iv) ड्रोन सर्वेक्षण गतिविधि विभिन्न जलवायु परिस्थितियों जैसे बाढ़, बारिश, तेज हवाएं, बर्फबारी आदि पर निर्भर करती है, इन जलवायु परिस्थितियों और पर्वतीय और उत्तर-पूर्वी क्षेत्रों में कठिन इलाकों के परिणामस्वरूप वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त करने में धीमी प्रगति हुई है।

(v) राज्यों द्वारा चूना चिन्हित गाँवों की पर्याप्त संख्या की उपलब्धता भी योजना की प्रगति को प्रभावित करती है।"

5.7 स्वामित्व योजना के तहत जारी धनराशि (31.12.2022 तक)

(राशि रुपये में)

संगठन / राज्य / केंद्र शासित प्रदेश	2020-21	2021-22	2022-23	कुल
आंध्र प्रदेश		26,70,000		26,70,000
अरुणाचल प्रदेश		16,54,250		16,54,250
असम		54,74,750		54,74,750
छत्तीसगढ़		13,14,500		13,14,500
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव		2,19,750		2,19,750
हरियाणा	21,61,270			21,61,270
हिमाचल प्रदेश		41,15,250		41,15,250
कर्नाटक	7,75,125			7,75,125
मध्य प्रदेश	47,68,750	45,08,750		92,77,500
महाराष्ट्र	10,52,500			10,52,500
मिजोरम		2,77,750		2,77,750
ओडिशा		11,50,000		11,50,000
पुदुचेरी			24,000	24,000
पंजाब		13,24,500	7,80,000	21,04,500
राजस्थान			61,40,000	61,40,000
त्रिपुरा		3,87,000		3,87,000
उत्तर प्रदेश	1,44,75,000			1,44,75,000
उत्तराखंड	15,10,000			15,10,000
कुल	**2,47,42,645**	**2,30,96,500**	**69,44,000**	**5,47,83,145**

अध्याय-छह

पारदर्शी और जवाबदेह ग्राम पंचायतें

6.1 मंत्रालय की प्रत्येक योजना के कार्य निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण की प्रणाली

क. आरजीएसए: आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना वित्तीय वर्ष 2018-19 से कार्यान्वयनाधीन है। इस योजना के कार्य-निष्पादन की निगरानी और नियंत्रण की दृष्टि से, इस मंत्रालय ने इस प्रयोजनार्थ कार्रवाई की है जिसमें राज्यों के साथ बैठकों, वीडियो-कॉन्फ्रेंस आदि के माध्यम से धन के उपयोग सहित योजना के कार्यान्वयन की प्रगति की निगरानी की जाती है। पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग की स्थिति के आधार पर राज्यों को निधियां जारी करने पर विचार किया जाता है। इसके अलावा, योजना के तहत राज्यों में स्वीकृत गतिविधियों की प्रगति की निगरानी के लिए योजना के लिए एक ऑनलाइन प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) भी शुरू की गई है। योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आयोजित प्रशिक्षण की वास्तविक समय की निगरानी के लिए प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल (टीएमपी) और प्रशिक्षण प्रबंधन डैशबोर्ड भी लॉन्च किया गया है। आरजीएसए के तहत धनराशि जारी करने और उसे ट्रैक करने के लिए लेनदेन आधारित पीएफएमएस शुरू किया गया है।

ख. पंचायतों का प्रोत्साहनीकरण: पंचायतों को प्रोत्साहन देने की योजना का उद्देश्य उन पंचायतों / राज्यों / संघ शासित प्रदेशों को चिह्नित करना है जो अपनी भूमिका अच्छी तरह से निभाते हैं। इस योजना में एक अंतर्निहित निगरानी तंत्र है जो विभिन्न स्तरों पर संचालित होता है। पंचायतों की जवाबदेही प्रणाली और पारदर्शी कार्यप्रणाली को मापने के लिए विभिन्न परिणाम और सतत विकास लक्ष्य थीम/ विषय आधारित मापदंडों/संकेतकों का उपयोग करके पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पुरस्कारों के लिए विस्तृत प्रश्नावली तैयार की गई है। प्रत्येक थीम के तहत सभी पंचायतों को उनके प्रदर्शन के आधार पर रैंक दी जाएगी। उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन ब्लॉक स्तरीय विषयगत समितियों द्वारा किया जाएगा और जिला स्तर की प्रतियोगिता के लिए 3 शीर्ष रैंकिंग ग्राम पंचायतों की सिफारिश की जाएगी। इसके अलावा जिला और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए प्रत्येक विषय के तहत 3 शीर्ष रैंकिंग ग्राम पंचायतों का आकलन और सिफारिश करेंगे। ग्राम पंचायतों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए विभिन्न स्तरों पर चयन समितियां नोडल विभागों/मंत्रालयों को नियुक्त करेंगी।

पंचायती राज मंत्रालय ने अपनी एनआईसी टीम के साथ निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार पोर्टल (www.panchayataward.gov.in) तैयार किया है:

- पुरस्कार के लिए जीपी द्वारा ऑनलाइन आवेदन जमा करना

- राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा पुरस्कारों के लिए ग्राम पंचायतों की सिफारिश
- विभिन्न स्तरों (राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र, जिला और ब्लॉक) पर पुरस्कार प्रक्रिया की निगरानी करना
- विभिन्न विषयों के तहत विभिन्न संकेतकों पर ग्राम पंचायतों की जानकारी का संग्रहण करना

ग. ई- पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट (एमएमपी): ई- पंचायत मिशन मोड प्रोजेक्ट एमओपीआर - आरजीएसए की प्रमुख योजना के केंद्रीय घटकों में से एक है, जो राज्यों को उनकी विशेष आवश्यकता के अनुसार ई-सक्षम बनाने के लिए सहायता करती है। प्रगति की समीक्षा के लिए नियमित रूप से समीक्षा बैठकें, कार्यशालाएं, हैंड-होल्डिंग सत्र, वीडियो कॉन्फ्रेंस और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्यों का दौरा किया जाता है। एक राष्ट्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (एनपीएमयू) भी इस परियोजना के कार्यान्वयन के समन्वयन को सुगम बनाती है।

घ. कार्य अनुसंधान और प्रचार: मीडिया और प्रचार योजना की निगरानी आवधिक समीक्षा के माध्यम से की जाती है। अभियानों की प्रभावकारिता और आगे सुधार की आवश्यकता का आकलन करने के लिए वास्तविक दौरे भी किए जाते हैं। लेखापरीक्षा भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार की जाती है । विभिन्न एजेंसियों को सौंपी गई योजना के तहत अनुसंधान गतिविधियों के लिए अनुसंधान गतिविधियों की प्रगति की निगरानी और अध्ययन सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:

(i) अध्ययन की स्थिति को अद्यतन करने के लिए एजेंसी को प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय एक प्रस्तुतीकरण देना होता है।

(ii) अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने से पहले संगठन को एक मसौदा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए कहा जाता है, जिसका मूल्यांकन संबंधित प्रभाग द्वारा किया जाता है और तदनुसार एजेंसी को फिर से प्रस्तुतीकरण के लिए बुलाया जाता है।

(iii) प्रस्तुतीकरण के दौरान दिए गए सुझावों को शामिल करने के बाद अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, और उसकी जांच की जाती है और रिपोर्ट को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित विषय पर कार्रवाई करने वाले संबंधित प्रभागों को भेजा जाता है और शेष राशि एजेंसी को जारी की जाती है।

(iv) रिपोर्ट की एक प्रति इस मंत्रालय के सभी प्रभागों और संबंधित राज्य सरकारों को अध्ययन रिपोर्ट की कार्रवाई योग्य बिंदुओं के साथ, यदि कोई हो, जानकारी के लिए और आगे की आवश्यक कार्रवाई करने के लिए परिचालित की जाती है।

ङ. स्वामित्व: प्रमुख प्रदर्शन संकेतक मापदंडों पर योजना की प्रगति की निगरानी योजना डैशबोर्ड (https://svamitva.nic.in) के माध्यम से की जा सकती है। योजना फ्रेमवर्क में समय पर निगरानी, रिपोर्टिंग और पाठ्यक्रम सुधार (जहां भी आवश्यक हो) के लिए चार-स्तरीय निगरानी और मूल्यांकन ढांचा है। यह राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर और पंचायत स्तर पर काम करेगा और इसमें संबंधित निर्णय निर्माता और विषय विशेषज्ञ शामिल होंगे।

6.2 मंत्रालय ने मंत्रालय या किसी अन्य एजेंसी द्वारा की गई प्रत्येक योजना की अंतिम समीक्षा/मूल्यांकन/मध्यावधि मूल्यांकन के विश्लेषण और परिणाम की निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं को रेखांकित किया है:

> "आरजीएसए की केंद्र प्रायोजित योजना का तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन नीति आयोग द्वारा जांचे गए संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के आधार पर नेशनल काउंसिल ऑफ एप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च (एनसीएईआर) द्वारा किया गया था । योजना के मूल्यांकन से पता चला कि ग्राम पंचायत स्तर पर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की जटिलता और चुनौतियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिक प्रशिक्षण उपकरण और उपकरणों तक पहुंच के साथ-साथ सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले संस्थानों के साथ समन्वय के माध्यम से फैकल्टी और संसाधनों जुटाने के संबंध में मजबूत संस्थागत क्षमता की आवश्यकता है। इसके निष्कर्ष से यह पता चलता है कि पंचायती राज संस्थाओं के मुख्य क्षेत्रों में पर्याप्त क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) गतिविधियों और बदलते शासन तंत्र के साथ उत्पन्न आवश्यकताओं के माध्यम से पंचायत स्तर पर शासन में सुधार के लिए और अधिक ठोस प्रक्रियाओं की आवश्यकता है। रिपोर्ट ने आरजीएसए योजना के तहत किए गए उपायों की सराहना की और पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने के लिए इसे जारी रखने की सिफारिश की। तदनुसार, 2022-23 से 2025-26 के दौरान कार्यान्वयन के लिए संशोधित आरजीएसए की योजना तैयार की गई और भारत सरकार द्वारा अनुमोदित की गई।"

6.3 मंत्रालय से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जमीनी स्तर पर उपलब्धियों को समय-समय पर सत्यापित करने के लिए मौजूद तंत्र और पंचायती राज संस्थाओं द्वारा की गई गतिविधियों के वास्तविक परिणामों के संबंध में पूछा गया जिसपर मंत्रालय ने निम्नलिखित उत्तर प्रस्तुत किया है:

> "मंत्रालय पंचायतों के बीच वार्षिक प्रतियोगिता आयोजित करता है और राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के तहत सेवाओं की प्रदायगी और सार्वजनिक कल्याण में

उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर उन्हें पुरस्कार प्रदान करता है। उनके कार्य-निष्पादन को मापने वाले विशिष्ट पैरामीटर तैयार किए गए हैं और उनकी प्रतिक्रिया मांगी गई है। प्रश्नावली के एक सेट के माध्यम से मापदंडों के मूल्यांकन के बाद, कार्य-निष्पादन करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाता है और वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। वर्ष 2022-23 से मंत्रालय सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण पर उनके कार्य-निष्पादन के आधार पर पंचायतों को रैंक देने की कार्रवाई कर रहा है एवं उन्हें पुरस्कार प्रदान करेगा।."

6.4 मंत्रालय ने निर्वाचित प्रतिनिधियों/पंचायत पदाधिकारियों/अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित तंत्र बनाया है:

"पंचायती राज व्यवस्था सरकार का तीसरा स्तर है। 'पंचायत', राज्य का विषय होने के कारण संविधान के प्रावधानों के अधीन संविधान राज्य विधायक को सभी 'पंचायत' संबंधित मामलों से संबंधित कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। तदनुसार, राज्यों ने अपने पंचायती राज कानून बनाए हैं, जो एक राज्य से दूसरे राज्य में भिन्न हो सकते हैं। पंचायतों से संबंधित प्रावधान, जिसमें निर्वाचित प्रतिनिधियों / पंचायत पदाधिकारियों / अधिकारियों की शक्तियां, कर्तव्य और उत्तरदायित्व शामिल हैं, राज्य के संबंधित पंचायती राज कानूनों द्वारा शासित होते हैं। इसलिए, निर्वाचित प्रतिनिधियों / पंचायत पदाधिकारियों / अधिकारियों का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए तंत्र तैयार करना मुख्य रूप से राज्य सरकार और राज्य विधानमंडल से संबंधित है। इस तरह के विवरण पंचायती राज मंत्रालय द्वारा नहीं रखे जाते हैं।

यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि लेखापरीक्षा निर्वाचित प्रतिनिधियों/ पंचायत पदाधिकारियों/ अधिकारियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने का एक प्रभावी तंत्र है। यह उल्लेख करना भी प्रासंगिक है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ञ में यह प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखापरीक्षा के संबंध में प्रावधान कर सकता है। तदनुसार, राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा का एकमात्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा दिनांक 15 अप्रैल, 2020 से ऑडिटऑनलाइन की सुविधा प्रदान की गई है, ताकि राज्यों को अपने आरएलबी के वैधानिक ऑडिट को समय पर पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके और

पंचायतों के लेखापरीक्षित खातों की ऑनलाइन उपलब्धता को सुगम बनाया जा सके। दिनांक 14 जुलाई, 2021 को पन्द्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, अनिवार्य शर्तों में से एक यह है कि अन्य बातों के साथ-साथ, अनुदान जारी करने के लिए पात्र होने हेतु, ग्रामीण स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके खातों की लेखापरीक्षा भी की जाए।

शुरुआत में, राज्यों को वर्ष 2019-20 के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए 25% ग्राम पंचायत खातों का लेखापरीक्षा करने के लिए कहा गया था। तत्पश्चात, राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2020-21 के लिए 14वें वित्त आयोग और पन्द्रहवें वित्त आयोग के तहत किए गए तीन स्तरों में पंचायत व्यय से संबंधित लेखापरीक्षा करें। प्रचालनात्मक दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करना है कि कम से कम 25% ग्रामीण स्थानीय निकायों के खातों का लेखापरीक्षण, लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के लिए किया जाए।

15वें वित्त आयोग ने आदेश दिया है कि वर्ष 2023-24 से पंचायतों के सभी खातों का इयर माइनस टू (वर्ष 2023-24 के लिए, लेखापरीक्षा वर्ष2021-22 के लिए किया जाएगा) के लिए लेखापरीक्षण किया जाना है। 15वें वित्त आयोग ने यह भी अनिवार्य किया है कि उन्हें सार्वजनिक क्षेत्रों / पब्लिक डोमेन में रखा जाए।

लेखापरीक्षा के माध्यम से उत्तरदायित्व के सिद्धांत को साकार करने के लिए, मंत्रालय अनुवर्ती कार्रवाई रिपोर्ट (एटीआर) मॉड्यूल को शामिल करके ऑनलाइन लेखापरीक्षा प्रक्रिया को एक अधिक संरचित रूप में लाने का प्रस्ताव कर रहा है। इस दिशा में, मंत्रालय ने पंचायतों के लेखापरीक्षण को 15वें वित्त आयोग द्वारा अनिवार्य किए गए 100% के स्तर तक लाने के लिए संरचित तरीके से राज्यों के साथ काम किया है।"

6.5 मंत्रालय से पंचायती राज संस्थाओं की नियमित लेखापरीक्षा सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय द्वारा किए गए सक्रिय उपायों के बारे में पूछा गया था जिस पर मंत्रालय ने अपने उत्तर में निम्नलिखित विवरण प्रस्तुत किए हैं:

"भारत के संविधान के अनुच्छेद 243ण में प्रावधान है कि राज्य का विधानमंडल, कानून द्वारा, पंचायतों द्वारा खातों के रखरखाव और ऐसे खातों की लेखा परीक्षा

के संबंध में प्रावधान कर सकता है। तदनुसार, राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के लेखापरीक्षा का एकमात्र उत्तरदायित्व सौंपा गया है। हालाँकि, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (RLBs) के वार्षिक खातों का ऑनलाइन ऑडिट करने के लिए ऑडिटऑनलाइन का मंच प्रदान किया है, क्योंकि केंद्रीय वित्त आयोग ऑडिटेड पंचायत खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देता रहा है। ऑडिटऑनलाइन एप्लिकेशन पंचायती राज मंत्रालय द्वारा 15 अप्रैल 2020 को शुरू किया गया था, ताकि राज्यों को अपने आरएलबी के वैधानिक ऑडिट को समय पर पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके और पंचायतों के ऑडिट किए गए खातों की ऑनलाइन उपलब्धता को भी सुविधाजनक बनाया जा सके। यह उल्लेख करना प्रासंगिक होगा कि दिनांक 14 जुलाई 2021 को 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, अनिवार्य शर्तों में से एक, अन्य बातों के साथ-साथ, अनुदान जारी करने के लिए पात्र होने के लिए, ग्रामीण स्थानीय निकायों को यह सुनिश्चित करना है कि उनके खातों का ऑडिट भी हुआ है। इस परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, वर्ष 2022-23 के लिए, राज्यों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कम से कम 25% ग्रामीण स्थानीय निकायों के खातों का ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए ऑडिट किया जाए। शुरुआत में, राज्यों को वर्ष 2019-20 के दौरान 14वें वित्त आयोग के तहत किए गए व्यय के लिए 25% ग्राम पंचायत खातों का ऑडिट करने के लिए कहा गया था। इसके बाद, राज्यों से अनुरोध किया गया कि वे वर्ष 2020-21 के लिए 14वें वित्त आयोग और 15वें वित्त आयोग के तहत किए गए तीन स्तरों पर पंचायत व्यय का ऑडिट करें।

ऑडिट अवधि 2019-20 के लिए, 1,18,356 ऑडिट रिपोर्ट तैयार की गई हैं। आज तक, देश भर में 1,87,565 (70%) पंचायतों के खातों की ऑडिट अवधि 2020-21 के लिए ऑडिट की जा चुकी है।."

6.6 मंत्रालय से यह पूछा गया था कि क्या मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए नियमित ऑडिट किया जा रहा है और विभिन्न योजनाओं के बारे में ऑडिट टिप्पणियां की जा रही हैं जिसपर मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया:

"लेखापरीक्षा महानिदेशक के कार्यालय ने वित्तीय वर्ष 2018-19 और 2019-20 के लिए योजना के साथ-साथ गैर-योजना के लिए मंत्रालय का वार्षिक ऑडिट किया है, जिसकी रिपोर्ट प्रतीक्षित है।."

6.7 मंत्रालय ने पिछले तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान लेखापरीक्षित पंचायतों की संख्या की तुलना में पंचायतों की राज्यवार कुल संख्या का निम्नलिखित विवरण प्रदान किया है:

> "लेखापरीक्षा अवधि 2020-21 के लिए, पंचायतों के तीन स्तरों (3,082 जिला पंचायतें, 27,314 पंचायतें और 19,65,074 ग्राम पंचायतें) में लगभग 19,95,470 लेखापरीक्षा टिप्पणियां दर्ज किए गए हैं। राज्यवार दर्ज की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियां अनुबंध-VII में दर्शाई गई हैं। (स्रोत: पंचायती राज मंत्रालय का ऑडिटऑनलाइन पोर्टल)"

6.8 एमओपीआर के सचिव ने साक्ष्य के दौरान ग्राम पंचायतों की लेखापरीक्षा की स्थिति के संबंध में निम्नलिखित बताया:

> "पंचायत लेखापरीक्षा को अब अनिवार्य कर दिया गया है। पहले, यह एक बहुत ही कठिन क्षेत्र था। पंचायतों की लेखापरीक्षा रिपोर्टें काफी समय से लंबित थीं। लेकिन अब सभी पंचायतों को अनिवार्य रूप से शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा पूरी करनी होगी। 2021-22 की अवधि के लिए शत -प्रतिशत लेखापरीक्षा की जानी है और उसके बाद ही हम अगले वर्ष से धन जारी कर सकते हैं। 2019-20 के लिए यह 25 प्रतिशत था और हमने 25 प्रतिशत लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन अगले वर्ष से सभी पंचायतों को लेखापरीक्षा करानी होगी और इसे पोर्टल में डालना होगा। उन्हें पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों के माध्यम से लेखापरीक्षा कराने की स्वतंत्रता दी गई है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई राज्यों में स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों की कमी है। इसलिए, वे पैनल में शामिल लेखापरीक्षकों की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं और वे लेखापरीक्षा पूरी कर सकते हैं। लेकिन इसे अपलोड करना होगा। अगले साल शत-प्रतिशत लेखापरीक्षा के साथ ही हम वित्त आयोग से पैसा जारी कर सकते हैं। इसलिए, बहुत अच्छी प्रगति हुई है।"

6.9 मंत्रालय ने समिति को बताया है कि संबंधित राज्यों द्वारा लेखापरीक्षा के प्रावधान निम्नवत् हैं:

> "संवैधानिक शासनादेश (अनुच्छेद 243 ञ) के अनुसार पंचायतों का लेखांकन और लेखापरीक्षा राज्य सरकारों के दायरे में है। इसलिए राज्यों में उनके संबंधित

अधिनियमों/नियमों/विनियमों के अनुसार लेखापरीक्षा की जाती है। हालांकि, सीएजी आरएलबी के लेखापरीक्षा करने के लिए राज्यों के स्थानीय निधि लेखापरीक्षकों को तकनीकी मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करता है।"

6.10 मंत्रालय से यह पूछे जाने पर कि क्या राज्यों द्वारा लेखापरीक्षा रिपोर्ट की एक प्रति मंत्रालय को भेजी जाती है और ऐसी रिपोर्टों पर मंत्रालय द्वारा क्या सुधारात्मक कार्रवाई की गई है, मंत्रालय द्वारा निम्नवत् विवरण दिया गया:

"चूंकि पंचायतों की वैधानिक लेखापरीक्षा राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में है, आरएलबी की लेखापरीक्षा रिपोर्ट की प्रति एमओपीआर को प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

'पंचायतों' के संविधान की अनुसूची 7 की राज्य सूची में होने के कारण, पंचायत की धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने की पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकारों की है, जिसमें केंद्रीय वित्त आयोग के अनुदान शामिल हैं। तदनुसार, राज्य सरकारों की यह भी जिम्मेदारी है कि वे अपने-अपने राज्यों में आरएलबी द्वारा धन के किसी भी दुरूपयोग/गबन के खिलाफ सुधारात्मक कार्रवाई करें। सुधारात्मक उपायों के लिए संबंधित राज्य के संबंधित कानूनों/नियमों के अनुसार कानूनी/दंडात्मक कार्रवाइयां आरएलबी के धन के दुरुपयोग/गबन की जांच के बाद शुरू/लागू की जा सकती हैं।"

6.11 जब समिति ने राज्यों में राज्य वित्त आयोग के गठन के संवैधानिक प्रावधानों के बारे में पूछा, तो पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने साक्ष्य के दौरान निम्नवत् बताया-

"राज्य वित्त आयोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे केंद्रीय वित्त आयोग की तरह ही हैं। उनकी भूमिका राज्य और स्थानीय सरकार के बीच वितरण करना है। वे देखते हैं कि राज्य के पदाधिकारियों और स्थानीय सरकार के पदाधिकारियों के बीच राजस्व का वितरण कैसे किया जाए। वे कर शुल्क, शुल्क जो स्थानीय सरकारों को सौंपे जाने चाहिए, स्थानीय सरकारों को सहायता अनुदान, पंचायत की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए आवश्यक उपाय और पंचायतों में पारदर्शिता लाने के लिए किसी अन्य मामले का भी निर्धारण करते हैं। 73वें संशोधन के बाद से राज्य वित्त आयोगों के गठन की यह वर्तमान प्रगति

है। इस समय तक सभी राज्यों को छठे वित्त आयोग का गठन कर देना चाहिए था लेकिन कुछ देर हो गई है। हम राज्यों के साथ काम कर रहे हैं लेकिन 2024-25 तक उन्हें यह करना है और यदि वे तब तक ऐसा नहीं करते तो 2025 से उन्हें वित्त आयोग से निधियां प्राप्त नहीं होंगी। अत: उन्हें अगले वर्ष तक राज्य वित्त आयोग का गठन करना होगा और की गई कार्रवाई प्रतिवेदन भी प्रस्तुत करना होगा। यह राज्य वित्त आयोग से संबंधित जानकारी है।"

6.12 राज्यों में राज्य वित्त आयोगों के गठन की स्थिति

राज्यों में एसएफसी का गठन (1/2)

Panchayati Raj

क्र.सं.	राज्य	1 एसएफसी (1996-2001)	2 एसएफसी (2001-2006)	3 एसएफसी (2006-2011)	4 एसएफसी (2011-2016)	5वां एसएफसी (2016-2021)	6वां एसएफसी (2021-2026)
1	आंध्र प्रदेश	✓	✓	✓	✓	-	
2	अरुणाचल प्रदेश	✓	✓	-	-	-	
3	असम	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	बिहार	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	छत्तीसगढ	✓	✓	✓	✓	-	
6	गोवा	✓	✓	✓	-	-	
7	गुजरात	✓	✓	✓	-	-	
8	हरियाणा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	हिमाचल प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	जम्मू और कश्मीर	✓	-	-	-	-	
11	झारखंड	✓	✓	✓	-	-	
12	कर्नाटक	✓	✓	✓	✓	-	
13	केरल	✓	✓	✓	✓	✓	✓

सक्रिय एसएफसी

50

Ministry of Panchayati Raj, GoI

राज्यों में एसएफसी का गठन (2/2)

क्र.सं.	राज्य	1st एसएफसी (1996-2001)	2nd एसएफसी (2001-2006)	3rd एसएफसी (2006-2011)	4th एसएफसी (2011-2016)	5th एसएफसी (2016-2021)	6th एसएफसी (2021-2026)
14	मध्य प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	
15	महाराष्ट्र	✓	✓	✓	✓	✓	
16	मणिपुर	✓	✓	✓	✓	✓	
17	ओडिशा	✓	✓	✓	✓	✓	
18	पंजाब	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	राजस्थान	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	सिक्किम	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	तमिलनाडु	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	तेलंगाना	✓	-	-	-	-	
23	त्रिपुरा	✓	✓	✓	✓	-	
24	उत्तर प्रदेश	✓	✓	✓	✓	✓	
25	उत्तराखण्ड	✓	✓	✓	✓	✓	
26	पश्चिम बंगाल	✓	✓	✓	✓	✓	

सक्रिय एसएफसी

51

Ministry of Panchayati Raj, GoI

6.13 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न योजनाओं की आउटपुट रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर मंत्रालय ने निम्न विवरण प्रस्तुत किया:

"जी, हां, मंत्रालय नीति आयोग के आउटपुट-आउटकम मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क (ओओएमएफ) की सलाह के आधार पर विभिन्न योजनाओं के मापने योग्य आउटपुट और परिणाम को संकलित करता है और इसे आयोग के संबंधित डैशबोर्ड पर अपलोड करता है। नवीनतम वर्ष 2021-22 के अनुसार, जिसके लिए पूरे वर्ष के मापनीय परिणाम उपलब्ध हैं, आरजीएसए जैसी प्रमुख योजना के मापनीय परिणाम संतोषजनक हैं। पंचायती राज संस्थाओं के 50 लाख निर्वाचित प्रतिनिधियों और पदाधिकारियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लक्ष्य की तुलना में 50.17 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया गया, जो लक्ष्य का 100.34% है। इसी तरह, 700 पंचायत भवनों के लक्ष्य की तुलना में 852 पंचायत भवनों का निर्माण किया गया, जो लक्ष्य का 121% से अधिक है। इसी प्रकार, 350 ग्राम पंचायतों को कार्यशील बनाने के लक्ष्य की तुलना में 726 पंचायत भवनों को क्रियाशील बनाया गया जो लक्ष्य के 207 प्रतिशत से अधिक है। समर्पित पोर्टल में ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) को अपलोड करने के परिणाम सूचक के लिए 2.45 लाख के लक्ष्य की तुलना में 2.55 लाख जीपीडीपी अपलोड किए गए जो लक्ष्य के 104% से अधिक है।"

6.14 लेखापरीक्षा अवधि वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए राज्य-वार लेखापरीक्षित ग्राम पंचायतों और पंचायती राज संस्थाओं की संख्या

क्र. सं.	राज्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)		पीआरआई की कुल संख्या	तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)	
	लेखापरीक्षा अवधि ->	**2019-20**			**2020-21**		
1	आंध्र प्रदेश	13,467	4,094	30%	14,044	14,043	100%
2	अरुणाचल प्रदेश	2,036	0	0%	2,133	-	0%
3	असम	2,199	581	26%	2,415	2,075	86%
4	बिहार	8,387	2,141	26%	8,749	8,603	98%
5	छत्तीसगढ़	11,681	2,917	25%	11,831	7,958	67%
6	गोवा	191	48	25%	193	-	0%
7	गुजरात	14,303	3,680	26%	14,538	3,631	25%
8	हरियाणा	6,208	1,549	25%	6,397	2,627	41%
9	हिमाचल प्रदेश	3,226	825	26%	3,708	3,101	84%
10	जम्मू और कश्मीर*	4,290	1,110	26%			
11	झारखंड	4,364	1,854	42%	4,638	-	0%
12	कर्नाटक	6,020	1,812	30%	6,233	5,901	95%
13	केरल	941	941	100%	1,107	1,107	100%
14	मध्य प्रदेश	22,807	6,054	27%	23,105	7,026	30%
15	महाराष्ट्र	27,902	10,182	36%	28,276	27,040	96%
16	मणिपुर	161	40	25%	167	87	52%
17	मेघालय **				9,024	-	0%
18	मिजोरम **				834	-	0%
19	नागालैंड**				1,290	-	0%
20	ओडिशा	6,798	1,727	25%	7,142	7,138	100%
21	पंजाब	13,267	5,526	42%	13,436	3,464	26%
22	राजस्थान	11,349	4,060	36%	11,726	9,347	80%
23	सिक्किम	185	49	26%	189	189	100%
24	तमिलनाडु	12,525	6,427	51%	12,949	12,497	97%
25	तेलंगाना	12,795	5,132	40%	13,341	13,341	100%
26	त्रिपुरा	591	150	25%	1,262	1,262	100%
27	उत्तर प्रदेश	58,703	54,154	92%	59,090	54,078	92%
28	उत्तराखंड	7,805	2,215	28%	7,899	2,042	26%

क्र. सं.	राज्य	ग्राम पंचायतों की कुल संख्या	तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)		पीआरआई की कुल संख्या	तैयार की गई ऑडिट रिपोर्ट (लेखापरीक्षा पूर्ण)	
	लेखापरीक्षा अवधि ->	**2019-20**			**2020-21**		
29	पश्चिम बंगाल	3,340	1,088	33%	3,706	1,008	27%
	कुल	**255,541**	**118,356**	**46%**	**269,422**	**187,565**	**70%**

नोट:

** जम्मू-कश्मीर को 14वें वित्त आयोग के तहत निधियां मिली थीं। संघ राज्य क्षेत्र बनने के बाद, 15वें वित्त आयोग के तहत कोई अनुदान नहीं दिया गया।*

***14वें वित्त आयोग के तहत राज्यों को निधियां नहीं दी गयी।*

6.15 राज्यवार दर्ज की गई लेखापरीक्षा टिप्पणियों की संख्या

क्र.सं.	राज्यों के नाम	दर्ज की गई टिप्पणियों की संख्या (2019-20)	दर्ज की गई टिप्पणियों की संख्या (2020-21)
1	आंध्र प्रदेश	1,10,242	371,434
2	अरुणाचल प्रदेश		-
3	असम	1,501	11,299
4	बिहार	14,104	67,501
5	छत्तीसगढ़	39,863	111,444
6	गोवा	59	-
7	गुजरात	18,606	15,299
8	हरियाणा	13,821	18,727
9	हिमाचल प्रदेश	1,748	8,956
10	जम्मू और कश्मीर*	4,692	7,223
11	झारखंड	3,037	-
12	कर्नाटक	90,180	37,071
13	केरल	22,099	29,935
15	मध्य प्रदेश	58,736	148,241
16	महाराष्ट्र	30,643	115,510
17	मणिपुर	153	289
18	मेघालय **	-	-
19	मिजोरम**	-	-
20	नागालैंड **	-	-

क्र.सं.	राज्यों के नाम	दर्ज की गई टिप्पणियों की संख्या (2019-20)	दर्ज की गई टिप्पणियों की संख्या (2020-21)
21	ओडिशा	17,174	84,823
22	पंजाब	6,234	4,042
23	राजस्थान	11,531	33,688
24	सिक्किम	276	753
25	तमिलनाडु	11,106	18,677
26	तेलंगाना	54,210	212,698
27	त्रिपुरा	383	2,890
28	उत्तराखंड	14,751	20,029
29	उत्तर प्रदेश	684,040	640,762
30	पश्चिम बंगाल	3,043	3,783
कुल		**12,12,233**	**19,65,074**

भाग-दो
टिप्पणियाँ/सिफारिशें

1. पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) को निधियों का आबंटन

समिति को यह जानकर खेद है कि पंचायती राज मंत्रालय (एमओपीआर) के संबंध में वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय अनुमान मंत्रालय द्वारा दी गई मांग से 153 करोड़ रुपये कम है। एमओपीआर के अनुसार आगामी वर्ष 2023-24 के लिए प्रमुख प्राथमिकताएं सुशासन और सतत् विकास लक्ष्यों (एसडीजी) की प्राप्ति के लिए पंचायतों की क्षमताओं को बढ़ाना है। मंत्रालय की समग्र योजना (अम्ब्रेला स्कीम) अर्थात राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) का उद्देश्य सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना भी है। इसके अलावा, पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण सतत् विकास लक्ष्यों के स्थानीयकरण के लिए अनिवार्य है, जिन्हें 2030 तक प्राप्त किया जाना है। तथापि, एसडीजी को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सशक्त बनाने के अधिदेश की तुलना में मंत्रालय को किया गया निधि आबंटन अपर्याप्त रहा है। इस संबंध में समिति यह नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए एमओपीआर के 1169.69 करोड़ रुपये के प्रस्तावित बजट की तुलना में वित्त मंत्रालय ने 1016.42 करोड़ रुपये की कम राशि को मंजूरी दी है जिसके कारण शायद मंत्रालय कुछ क्षेत्रों में व्यय पर समझौता करने के लिए मजबूर है। चूंकि मंत्रालय नीतिगत उपायों, क्षमता निर्माण आदि के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण में सुधार करने का प्रयास करता है, इसलिए समिति का मानना है कि यह आवश्यक है कि मंत्रालय को उसकी प्राथमिकताओं को वास्तविकता में बदलने के लिए पर्याप्त बजटीय आबंटन किया जाना चाहिए। इस संबंध में समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को इस मामले को वित्त मंत्रालय के साथ उच्चतम स्तर पर उठाना चाहिए और उस पर मंत्रालय को उसकी आवश्यकताओं के अनुसार बजटीय आबंटन अनुमोदित करने के लिए दबाव डालना चाहिए क्योंकि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं का क्षमता निर्माण आवश्यक है। जहां तक 2023-24 का संबंध है, मंत्रालय को संशोधित अनुमान के स्तर पर शेष निधियों के आवंटन के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष और निधियों की मांग रखनी चाहिए। समिति चाहती है उसे इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत कराया जाए।

2. अव्ययित शेष राशि का परिसमापन

समिति यह स्वीकार करती है कि पंचायती राज संस्थाओं के क्षमता निर्माण का देश के ग्रामीण विकास पर आनुपातिक प्रभाव पड़ता है। मंत्रालय द्वारा निर्धारित उदात्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मंत्रालय की योजनाओं/कार्यक्रमों के लिए बजटीय आबंटनों का समय पर और

प्रभावी व्यय अनिवार्य है। हालांकि, समिति इस तथ्य पर खेद व्यक्त करती है कि मंत्रालय के खर्च का पैटर्न संतोषजनक नहीं रहा है। पिछले वर्षों के दौरान मंत्रालय के खर्च के पैटर्न के विश्लेषण से पता चलता है कि 2019-20 से 2021-22 तक संशोधित अनुमान चरण में हर साल बजट अनुमानों को कम किया गया था और वास्तविक व्यय बजट अनुमानों की तुलना में बहुत कम रहा है। उदाहरण के लिए 2021-22 में 913.44 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में संशोधित अनुमान को घटाकर 868.38 करोड़ रुपये कर दिया गया और मंत्रालय ने बजट अनुमान से 48.60 करोड़ रुपये वापस कर दिए। वर्ष 2022-23 में मंत्रालय संशोधित अनुमान स्तर पर आबंटित 905.77 करोड़ रुपये में से केवल 701.04 करोड़ रुपये ही खर्च कर पाया है और 31.12.2022 तक 204.73 करोड़ रुपये खर्च नहीं किए गए हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय अपनी योजना इस प्रकार तैयार करे कि वर्ष 2022-23 के लिए आबंटित निधियों की शेष राशि का समय पर पूरा उपयोग किया जा सके ताकि इसके उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके और योजनाओं/कार्यक्रमों को यथार्थवादी तरीके से फलीभूत किया जा सके और पंचायती राज संस्थाओं को भी सुदृढ़ बनाया जा सके। समिति चाहती है कि उसे इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत कराया जाए।

3. <u>आरजीएसए के तहत निधियां जारी न करना</u>

समिति यह पाती है कि राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) नामक समग्र (अम्ब्रेला) योजना मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण योजना है। मंत्रालय के अनुसार आरजीएसए के अंतर्गत निधियां राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुख्य रूप से निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और पंचायतों के अन्य हितधारकों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण के लिए जारी की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, इस योजना के तहत् राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की वार्षिक कार्य योजना (एएपी) के अंतर्गत यथा अनुमोदित पंचायतों के सुदृढ़ीकरण से संबंधित अन्य स्वीकार्य कार्यकलापों के लिए भी निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, समिति यह नोट करती है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 (31.12.2022 की स्थिति के अनुसार) के लिए योजना के अंतर्गत 34 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में से 19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। इसी तरह से, 2021-22 में 34 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में से 9 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कोई धनराशि जारी नहीं की गई। इस संबंध में मंत्रालय ने बताया कि निधियां जारी न किए जाने के कारणों में अन्य बातों के साथ-साथ अपेक्षित दस्तावेज समय पर प्रस्तुत न करना और वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित अनुदेशों का अनुपालन न करना शामिल हैं। समिति के विचार में कई राज्यों को इस तरह निधियाँ जारी न किए जाने से इस महत्वपूर्ण योजना की प्रगति बाधित होगी जिसका उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करना है। इस संदर्भ में, समिति यह सिफारिश करती है कि मंत्रालय को वित्त मंत्रालय की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों

द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने में सक्रिय होना चाहिए ताकि सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समान रूप से निधियां जारी की जा सकें। यदि आवश्यक हो, तो ऐसे मामलों को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाना चाहिए ताकि आरजीएसए के अंतर्गत विलंब या निधियां जारी न किए जाने के कारण परिकल्पित योजनाओं की प्रगति बाधित न हो।

4. <u>आरजीएसए के तहत महिलाओं के प्रशिक्षण पर ध्यान केन्द्रित करना</u>

समिति पाती है कि संशोधित आरजीएसए योजना पंचायतों के सुदृढ़ीकरण के लिए कार्यान्वित की जा रही है जिसके माध्यम से मंत्रालय द्वारा बड़ी संख्या में निर्वाचित प्रतिनिधियों (ईआर), पंचायत कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों के क्रमिक क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण (सीबी एंड टी) का प्रयास किया जाता है। इस संबंध में मंत्रालय ने समिति को बताया कि 2022-23 के दौरान (21.01.2023 तक) लगभग 15,11,827 निर्वाचित प्रतिनिधियों, पंचायत कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों को प्रशिक्षित किया गया है। तथापि, समिति की सुविचारित राय है कि यद्यपि पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) में महिलाओं के आरक्षण का प्रावधान है, तथापि पंचायत स्तर पर वास्तव में महिला प्रतिनिधियों के सशक्तीकरण के लिए महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे स्वतंत्र रुप से निर्णय ले सकें। पंचायती राज संस्थाओं में "सरपंच/प्रधान पति" जैसी प्रचलित अवधारणाओं पर अंकुश लगाने के लिए समिति दृढ़ता से सिफारिश करती है कि मंत्रालय को पंचायती राज संस्थाओं की महिला प्रतिनिधियों के क्षमता निर्माण और प्रशिक्षण को बढ़ाने के लिए ठोस प्रयास करने चाहिए ताकि वे दूसरों के प्रभाव और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से कार्य कर सकें। इस संबंध में सभी क्षमता निर्माण कार्यक्रमों में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए भागीदारी हेतु एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित किया जाना चाहिए। समिति का दृढ़ विश्वास है कि मंत्रालय इस संबंध में सक्रियता से कार्रवाई करेगा और इस संबंध में समिति को अवगत कराएगा।

5. <u>सभी पंचायती राज संस्थाओं में पंचायत भवन का निर्माण</u>

समिति नोट करती है कि पंचायती राज संस्थाओं को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की अनुमोदित कार्य योजनाओं के अनुसार ग्राम पंचायतों में पंचायत भवनों के निर्माण के लिए निधियां प्रदान की जाती हैं। तथापि, समिति को यह जानकर खेद है कि विभिन्न राज्यों में 51,512 ग्राम पंचायतें पंचायत भवनों के बिना कार्य कर रही हैं। सचिव, एमओपीआर ने साक्ष्य के दौरान समिति को बताया कि पंचायत भवनों के बिना अधिकांश ग्राम पंचायतें उत्तर प्रदेश राज्य में हैं। चूंकि पंचायत भवनों का निर्माण पंचायतों के प्रभावी कार्यकरण के लिए अपरिहार्य है, इसलिए समिति पुरजोर सिफारिश करती है कि एमओपीआर को पंचायत भवनों के निर्माण के लिए समयबद्ध तरीके से ठोस कदम उठाने चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रत्येक

ग्राम पंचायत के पास एक पंचायत भवन हो और वे ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का पूरा लाभ उठा सकें।

6. <u>जीर्ण-शीर्ण / पुराने पंचायत भवनों का नवीकरण</u>

पंचायती राज संस्थाओं के कुशल कार्यकरण के लिए पंचायत भवन बुनियादी अवसंरचना की आवश्यकताएं हैं। पंचायत भवन नागरिकों और पंचायत कार्यकर्ताओं के बीच संपर्क बिंदु और पंचायत के लिए स्थायी पते के रूप में काम करता है। तथापि, समिति ने अध्ययन दौरों के दौरान यह देखा है कि कई ग्राम पंचायतों में पंचायत भवन जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं। इसके अलावा, कई पंचायतें पुराने भवनों में कार्य कर रही हैं जो न केवल पंचायती राज संस्थाओं के कार्यकरण को बाधित कर रही हैं बल्कि वहां काम कर रहे निर्वाचित प्रतिनिधियों और पंचायत कार्यकर्ताओं के जीवन को भी खतरे में डाल रही हैं। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि ऐसे जीर्ण/पुराने पंचायत भवनों का सर्वेक्षण किया जाना चाहिए और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उन पंचायत भवनों का नवीकरण प्राथमिकता के आधार पर समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

7. <u>पंचायत योजना को प्रोत्साहन देना</u>

समिति इस बात की सराहना करती है कि मंत्रालय राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कारों के माध्यम से सर्वश्रेष्ठ कार्य निष्पादन करने वाली पंचायतों को प्रोत्साहित कर रहा है। नौ पहचाने गए एसडीजी विषयों के स्थानीयकरण के माध्यम से सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में पंचायती राज संस्थाओं के कार्य निष्पादन का आकलन करने के लिए 2022 से इन पुरस्कारों को नया रूप दिया गया है। कुल पांच पुरस्कार दिए जाते हैं, जिनमें प्रत्येक पुरस्कार के तहत ग्राम पंचायतों को चुना जाता है। मंत्रालय द्वारा दी गई सूचना के अवलोकन से पता चलता है कि मध्य प्रदेश को पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान इन पुरस्कारों के तहत अधिकतम प्रोत्साहन के रूप में 5.13 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 2021-22 के दौरान 52.49 करोड़ रुपये की कुल प्रोत्साहन राशि दी गई। इसके अलावा, कुछ राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों अर्थात् पुडुचेरी, लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान और निकोबार, गोवा और अरुणाचल प्रदेश सबसे कम कार्य निष्पादन करने वाले राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं। पंचायती राज संस्थाओं के प्रभावी, कुशल और पारदर्शी शासन की दिशा में कार्य करने के लिए पंचायती राज संस्थाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा विकसित करने का प्रयास करने वाले इन पुरस्कारों के महत्व को स्वीकार करते हुए समिति ने दृढ़ता से सिफारिश की है कि प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कारों की संख्या और राशि बढ़ाई जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक पंचायतों को सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के

लिए आगे आने को प्रोत्साहित किया जा सके। इसके अलावा, मंत्रालय को सबसे कार्य निष्पादन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों पर बेहतर कार्य करने के लिए भी दबाव डालना चाहिए ताकि पुरस्कार योजना के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। समिति इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत होना चाहती है।

8. <u>ग्राम पंचायतों (जीपी) में कंप्यूटरों की अनुपलब्धता</u>

समिति इस बात से चिंतित है कि देश की 271102 ग्राम पंचायतों में से केवल 219889 ग्राम पंचायतों में ही कम्प्यूटर हैं। इंटरनेट सेवा सुविधाओं का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर की उपलब्धता एक शर्त है। मंत्रालय द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अवलोकन से पता चलता है कि कुछ राज्यों की ग्राम पंचायतों के पास एक भी कंप्यूटर नहीं है। मंत्रालय ने ई-पंचायत परियोजना तैयार की है जो सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं के कामकाज को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत एक मिशन मोड परियोजना है। लेकिन पर्याप्त कंप्यूटर बुनियादी ढांचे के अभाव में, इस परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन संभव नहीं हो सकता है। इसलिए समिति सिफारिश करती है कि मंत्रालय को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के समन्वय से समयबद्ध तरीके से देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत में इंटरनेट सेवा के साथ कम से कम दो कम्प्यूटरों की संस्थापना के लिए कदम उठाने चाहिए।

9. <u>ग्राम पंचायतों में इंटरनेट कनेक्टिविटी का अभाव</u>

समिति ने नोट किया कि पंचायती राज मंत्रालय का उद्देश्य दूरसंचार मंत्रालय और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमईआईटीवाई) के सहयोग से देश के 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करके 'ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण' करना है। डिजिटल इंडिया के प्रमुख कार्यक्रम के तहत परिकल्पित 'डिजिटल रूप से समावेशी और सशक्त समाज' के लिए यह अनिवार्य है। तथापि, समिति यह स्वीकार करती है कि भारतनेट परियोजना की प्रगति उत्साहजनक नहीं है। 21-01-2023 की स्थिति के अनुसार 2,71,102 ग्रामीण स्थानीय निकायों में से केवल 80,742 ग्रामीण स्थानीय निकायों के पास सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन है, भले ही 1.92 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा के लिए तैयार कर दिया गया है। समिति ने महाराष्ट्र जैसे राज्यों की अपनी अध्ययन यात्राओं के दौरान ग्राम पंचायतों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और सार्वजनिक सेवा वितरण के लिए गैर सरकारी सेलुलर डेटा के उपयोग का भी अभाव पाया है। परियोजना के महत्व को ध्यान में रखते हुए, समिति मंत्रालय से अनुरोध

करती है कि वह 2023-24 के दौरान सभी 1.92 लाख ग्राम पंचायतों को सेवा हेतु तैयार करने के लिए सक्रिय इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करने और 2024-25 तक सभी ग्राम पंचायतों को ब्रॉड बैंड कनेक्टिविटी से जोड़ने के लिए अन्य दो मंत्रालयों के साथ समन्वय करके ठोस कदम उठाए। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

10. <u>पंचायतों द्वारा सेवाओं का वितरण न किया जाना</u>

समिति ने नोट किया कि पंचायती राज मंत्रालय ने स्मार्ट गवर्नेंस के उद्देश्य को प्राप्त करने और ग्रामीण आबादी के लिए विभिन्न ऑनलाइन जी 2 जी, बी 2 बी और बी 2 सी सेवाओं के प्रावधान के लिए 2019 में "ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण" कार्यक्रम शुरू किया है। तथापि, समिति यह नोट कर चिंतित है कि महाराष्ट्र और सिक्किम राज्यों की उसकी हाल की अध्ययन यात्राओं के दौरान, अधिकांश ग्राम पंचायतें जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र से संबंधित केवल कुछ ही ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करती हैं। मंत्रालय ने पंचायत से संबंधित सभी सार्वजनिक सेवाओं को ऑनलाइन लाने की परिकल्पना की है। तथापि, पंचायतों द्वारा अपने नागरिकों को परिकल्पित अधिकांश ऑनलाइन सेवाएं प्रदान नहीं की जा रही हैं। समिति को यह बताया गया है कि लोग ऐसी सेवाओं के लिए निजी सेवा प्रदाताओं पर निर्भर हैं और उन्हें अतिरिक्त प्रभारों का भुगतान करना पड़ता है। इसलिए, समिति मंत्रालय से इस मामले की जांच करने और यह सुनिश्चित करने की सिफारिश करती है कि सभी ग्राम पंचायतें केवल जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र आदि तक सीमित रहने के बजाय सभी अनिवार्य ऑनलाइन सुनिश्चित सेवाएं प्रदान करें। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

11. <u>स्वामित्व</u>

समिति ने नोट किया कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य गांवों में बसे ग्रामीण घर मालिकों को 'अधिकारों का रिकॉर्ड' प्रदान करना और संपत्ति मालिकों को संपत्ति कार्ड जारी करना है। इस योजना का ग्रामीण क्षेत्रों पर व्यापक सामाजिक-आर्थिक प्रभाव पड़ता है। हालांकि, समिति यह नोट कर चिंतित है कि मंत्रालय 2020-21 और 2021-22 के वित्तीय वर्षों के लिए अपने वास्तविक लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। मंत्रालय ने अपने उत्तर में कहा है कि लक्ष्यों को भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास उपलब्ध ड्रोनों की न्यूनतम संख्या, जलवायु परिस्थितियों जैसे मुद्दों के कारण प्राप्त नहीं किया जा सका है। इसलिए समिति मंत्रालय को एक कार्य योजना तैयार करने और यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करने की सिफारिश करती है ताकि योजना के लक्ष्यों को 2025-26 तक प्राप्त किया जा सके। यह गंभीर चिंता का विषय है कि कुछ राज्य स्थानीय

परिस्थितियों के कारण इस योजना में शामिल भी नहीं हैं। इन राज्यों से सीओआरएस नेटवर्क या कोई अन्य वैकल्पिक उपाय करने का अनुरोध किया जा सकता है जो सर्वेक्षण उद्देश्यों में सहायक होंगे।

12. <u>वित्त आयोग के फंड की लेखापरीक्षा</u>

समिति को सूचित किया गया है कि पंचायती राज मंत्रालय ने ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) के वार्षिक खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा करने के लिए लेखापरीक्षा ऑनलाइन मंच प्रदान किया है क्योंकि केन्द्रीय वित्त आयोग लेखापरीक्षित पंचायत खातों की उपलब्धता सुनिश्चित करने पर जोर देता रहा है। यहां यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि लेखापरीक्षा सरकार के पास यह निर्धारित करने का एक महत्वपूर्ण साधन है कि पंचायतों ने सरकार द्वारा प्रदत्त निधियों का किस प्रकार वास्तव में और विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित मानदंडों के अनुसार उपयोग किया और वे कौन-कौन से कारक हैं जो इनके इष्टतम उपयोग में योगदान करते हैं। हालांकि, समिति ने नोटिस किया कि 2019-20 और 2020-21 के लिए क्रमशः केवल 46 प्रतिशत और 70 प्रतिशत ग्राम पंचायतों के लिए लेखापरीक्षा रिपोर्ट तैयार की गई है। देश के विभिन्न भागों में अपने विभिन्न अध्ययन दौरों के दौरान समिति ने यह पाया है कि न तो पंचायतों की समयबद्ध तरीके से लेखापरीक्षा की जा रही है और न ही समिति को लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान की गई है। समिति इस बात की सराहना करती है कि 15वें वित्त आयोग (एफएफसी) ने यह अनिवार्य किया है कि 2023-24 से पंचायतों के सभी खातों का पिछले दो वर्षों अर्थात 2021-22 के लिए लेखापरीक्षण किया जाना है। आयोग ने यह भी अनिवार्य किया है कि उन्हें सार्वजनिक डोमेन में भी रखा जाए। चूंकि पंचायतों के सभी खातों की लेखा परीक्षा करना अनिवार्य कर दिया गया है, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज मंत्रालय को इस मामले को उच्चतम स्तर पर राज्य सरकारों के साथ उठाना चाहिए और उन्हें एमओपीआर के लेखापरीक्षा ऑनलाइन आवेदन के साथ समयबद्ध तरीके से ग्राम पंचायतों के खातों की लेखा परीक्षा करने और एफएफसी की शर्तों को पूरा करने के लिए दबाव डालना चाहिए। निधियों के व्यय की पारदर्शिता के लिए, एफएफसी द्वारा निर्देशित लेखापरीक्षा के परिणामों को भी सार्वजनिक डोमेन में रखा जाना चाहिए। समिति इस संबंध में हुई प्रगति से अवगत होना चाहेगी।

13. <u>राज्य वित्त आयोगों (एसएफसी) का गठन</u>

समिति ने नोट किया है कि मंत्रालय द्वारा जिन 26 राज्यों के लिए सूचना दी गई थी, उनमें से केवल नौ राज्यों ने 6वें राज्य वित्त आयोग का गठन किया है और उनमें से केवल दो सक्रिय हैं। कुछ राज्यों ने तो चौथे और पांचवें वित्त आयोग का भी गठन नहीं किया है। चूंकि यह आवश्यक है कि राज्य वित्त से पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के अंतरण के लिए नियमित रूप से राज्य वित्त आयोगों का गठन किया जाए, इसलिए समिति सिफारिश करती है कि पंचायती राज्य मंत्रालय को राज्य सरकारों पर नियमित रूप से राज्य वित्त आयोगों(एसएफसी) को गठित करने के लिए दबाव डालना चाहिए और इस मामले को उनके साथ उच्चतम स्तर पर उठाया जाए।

नई दिल्ली;

<u>13 मार्च, 2023</u>

22 फाल्गुन, 1944 शक

नारणभाई जे. राठवा
कार्यकारी सभापति
ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी
स्थायी समिति

अनुबंध एक

ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

समिति की शुक्रवार, *10* फरवरी, 2023 को आयोजित सातवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

समिति की बैठक 1600 बजे से 1733 बजे तक समिति कक्ष 'सी', संसदीय सौध (पीएचए), नई दिल्ली में आयोजित हुई।

उपस्थित

श्रीमती कनिमोझी करुणानिधि - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री विजय कुमार दुबे
3. श्री सुखबीर सिंह जौनापुरिया
4. श्री जनार्दन मिश्र
5. श्रीमती गीताबेन वी. राठवा
6. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
7. डॉ. आलोक कुमार सुमन
8. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

9. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
10. श्रीमती शांता क्षत्री
11. श्री ईरण्ण कडाडी

सचिवालय

1.	श्री डी. आर. शेखर	:	संयुक्त सचिव
2.	श्री सी. कल्याणसुंदरम	:	निदेशक
3.	श्री विनय पी. बरवा	:	उप सचिव

पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधि

1.	श्री शैलेश कुमार सिंह	:	सचिव, ग्रामीण विकास (अतिरिक्त प्रभार - पंचायती राज)
2.	डॉ. चंद्र शेखर कुमार	:	अपर सचिव
3.	श्री के.आर. मीना	:	अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार
4.	मिस ममता वर्मा	:	संयुक्त सचिव
5.	श्री आलोक प्रेम नागर	:	संयुक्त सचिव
6.	डॉ. बिजया कुमार बेहेरा	:	आर्थिक सलाहकार (संसद)

2. सर्वप्रथम, माननीय सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) की जांच के संबंध में पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य लेने के लिए बुलाई गई समिति की बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

[तत्पश्चात् साक्षियों को बुलाया गया]

3. साक्षियों का स्वागत करने के उपरांत, सभापति ने मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया कि यहां हुई चर्चाओं को गोपनीय समझा जाए और समिति का प्रतिवेदन संसद में प्रस्तुत किए जाने तक सार्वजनिक नहीं किया जाए। इसके बाद सभापति ने वर्ष 2023-24 के लिए मंत्रालय की योजना-वार निधि आवंटन के बारे में मोटे तौर पर उल्लेख किया और सचिव से योजनाओं के कार्यान्वयन को प्रभावित करने वाले अन्य मुद्दों के साथ पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में बजटीय आवंटन में भिन्नताओं के बारे में जानकारी देने का अनुरोध किया। तत्पश्चात्, सचिव, पंचायती राज मंत्रालय ने अन्य बातों के साथ-साथ वर्ष 2023-24 के लिए बजटीय आवंटन, विभिन्न वर्षों में निधियों के आवंटन और उपयोग और अंबरेला राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, स्वामित्वा आदि जैसी विभिन्न योजनाओं के तहत हुई प्रगति पर एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया।

4. इसके बाद, सदस्यों ने विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के लिए बजट की पर्याप्तता, योजनाओं के कार्यान्वयन पर इसके प्रभाव और विभिन्न योजनाओं के तहत लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए मंत्रालय द्वारा की गई प्रगति से संबंधित मुद्दों पर प्रश्न उठाए, जिनका उनके द्वारा उत्तर दिया गया।

5. तत्पश्चात, सभापति ने पंचायती राज मंत्रालय के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया और निर्देश दिया कि सदस्यों द्वारा उठाए गए अनुत्तरित प्रश्नों, जिनके उत्तर आसानी से उपलब्ध नहीं थे, के लिखित उत्तर तीन दिनों के भीतर सचिवालय को भेजे जाएं।

[तत्पश्चात साक्षी चले गए।]
कार्यवाही का शब्दश: रिकॉर्ड रखा गया है।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

*****

अनुबंध दो

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2022-2023)

समिति की सोमवार, 13 मार्च, 2023 को हुई आठवीं बैठक का कार्यवाही उद्दरण

समिति की बैठक 1500 बजे से 1555 तक नई समिति कक्ष संख्या '1', संसद भवन एनेक्सी विस्तार भवन, ब्लॉक -'ए' (पीएचए-विस्तार 'ए'), नई दिल्ली.

उपस्थित

श्री नारणभाई जे राठवा - कार्यकारी सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री ए.के.पी चिनराज
3. श्री राजवीर दिलेर
4. डॉ. मोहम्मद जावेद
5. श्री नरेन्द्र कुमार
6. श्री जनार्दन मिश्र
7. श्रीमती गीताबेन वजेसिंगभाई राठवा
8. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह
9. श्री विवेक नारायण शेजवलकर
10. डा. आलोक कुमार सुमन
11. श्री श्याम सिंह यादव

राज्य सभा

12. श्री एम. मोहम्मद अब्दुल्ला
13. श्री दिनेशचंद्र जेमलभाई अनावाडीया
14. श्रीमती शांता क्षत्री
15. श्री राम शकल
16. श्री अजय प्रताप सिंह

सचिवालय

1. श्री डी.आर. शेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री सी कल्याणसुंदरम - निदेशक
3. श्री विनय पी. बर्वा - उप सचिव

2. सर्वप्रथम, समिति ने सभापति की अनुपस्थिति में लोक सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों के नियम 258(3) के अंतर्गत समिति के सदस्य श्री नारणभाई जे. राठवा को समिति की बैठक में सभापति के रूप में कार्य करने हेतु चुना। माननीय कार्यकारी सभापति ने xxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx xxxx तथा **पंचायती राज** मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2023-24) संबंधी xxxx प्रारूप प्रतिवेदनों xxxx xxxx xxxx xxxx पर विचार करने और उन्हे स्वीकार करने हेतु बुलाई गई इस बैठक में सदस्यों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात समिति ने निम्नलिखित xxxx प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार किया:-

(एक) xxxx xxxx xxxx;
(दो) xxxx xxxx xxxx
(तीन) पंचायती राज मंत्रालय की अनुदान मांगे (2023-24)

4. प्रारूप प्रतिवेदनों पर क्रमवार विचार किया गया तथा विस्तृत विचार-विमर्श के बाद समिति ने उक्त प्रतिवेधनों को बिना किसी संशोधन के स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात, समिति ने कार्यकारी सभापति को उक्त प्रारूप प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और इन्हे संसद में यथाशीघ्र प्रस्तुत करने हेतु प्राधिकृत किया।

तत्पश्चात, समिति की बैठक स्थगित हुई।

******

---

xxxx प्रारूप प्रतिवेदन से संबंधित नहीं है